राजस्थान विधान सभा

आठवीं बैठक, दिनांक १६ फरवरी, १६५३

सदन का कार्य २ बज कर ३ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

(अध्यक्ष, श्री नरोत्तमलाल जोशी, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १५५

श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(१) जिला टोंक में १,००,०००) रु० तकावी व अकाल पीडितों की सहायता के लिये जो मंजूर किये गए बतलाए वे किस तरह वितरण किये गए और शेष क्या रहा ?

(२) तहसील वाइज जो रकम निर्धारित की गई वह पूर्ण तकसीम की गई या नहीं; की गई तो किस कदर व शेष क्या रहा ?

(३) स्थानीय अफसरों ने व कार्यकर्ताओं ने किस कदर सिफारिश की व उनमें से कितनों को तकावी प्राप्त हुई ?

(४) ठिकाना उनियारा, दूनी, अलीगढ, व तहसील टोडा रायसिंह में नासिरदा, पनवाड़ के काश्तकारों को किस कदर तकावी के रूप में रकम वितरण हुई व शेष रकम कितनी रही ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—१,००,०००) रु० टोंक जिले के लिए तकावी के तौर पर दिया गया था और उसको निम्नलिखित तरीके से तहसीलवार बांटा गया है:—

टोंक	२५,०००) रु०
अलीगढ उनियारा सहित	३०,०००) रु०
निवाई	१५,०००) रु०
मालपुरा	२०,०००) रु०
टोडा रायसिंह	२०,०००) रु०

इन सारों में से २४,६५०) रु० किसानों में बांटा गया और वह निम्न तरीकों से बांटा गया—

कुओं की मरम्मत के लिए	१२,१६०) रु०
नये नाड़े बनाने के लिए	३,०००) रु०

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

नये कुए बनाने के लिए २,०००) रु०
फोडर खरीदने के लिए ६००) रु०
एग्रिकलचर इम्प्लीमेंट्स के लिए २००) रु०
और जो काम में नहीं आने वाले कुए थे उनकी मरम्मत के लिए ७,०००) रु०

तकाबी के कानून में इस तरह के किसानों को तकाबी देने के खास नियम बने हुए हैं और उनको अधिकार है । अलग अलग जगह से जो सूचनाएं प्राप्त की गईं उससे यह निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि कितनी दरख्वास्तें अभी पेन्डिंग हैं, क्योंकि जिनको तकाबी दी जाती है उन्हें रजिस्टर में दर्ज किया जाता है ।

ठिकाना टूनी, उनियारा और नासिरदा के गांवों में तकाबी नहीं दी गई, क्योंकि वहां की कोई दरख्वास्तें नहीं थीं ।

श्री सरदारसिंह –यह जो तकाबी दी गई थी वह जिसने जितने रुपये की मांग की थी उतने ही रुपये उनको दिये गये या कम ज्यादा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री) –जितनी भी दरख्वास्तें थीं और जितनी आवश्यकता समझी गई उतनों को दी गई ।

श्री सरदारसिंह –जैसा कि आपने बताया कि उनियारा में १५ हजार रुपये बांटे गये, क्या यह सही इन्फॉर्मेशन है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री) –मैंने जो आपसे कहा वह सारा सही है ।

श्री सरदारसिंह–क्या कोई ऐसी भी मंत्री महोदय के पास शिकायत थी कि दरख्वास्तें जाब्ते की कार्यवाही करने के लिए पड़ी रहीं और फिर उनको तकावी नहीं दी गई, और फिर उनके पास परवाना भेजा जाता है कि तुम्हारी तकाबी की किश्त जमा करो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री) –जी नहीं ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ) –तो क्या अब वह आयेगी तो क्या सरकार ध्यान देगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–सरकार तो हमेशा ही ध्यान देने के लिए तैयार है ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़) –आज तक हमारा यह कटु अनुभव रहा है कि सरकार ध्यान नहीं देती है; इसलिए कहा है ।

श्री अध्यक्ष –नेक्स्ट ।

Page No.3

प्रश्न संख्या १५६ ए

श्री सरदारसिंह–क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(१) गत वर्ष अकाल सहायतार्थ तहसील अलीगढ़ व उनियारे के लिए कितने मूल्य का कितना घास व कब मंगवाया गया था ?

(२) इसमें से कितना घास मुफ्त व कीमत में वितरण हुआ और शेष क्या रहा ?

(३) इस बचे हुए घास का क्या उपयोग हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–(१) ११५४ मन घास यू. पी. से मंगवाया गया था, और चौथ के बरवाड़े स्टेशन पर उतारा गया था ।

कुल कीमत घास की ३२४५ रु० १० आ०, २ रु० १३ आ० प्रति मन के हिसाब से कायम की गई थी । यह अप्रेल और मई, १९५२, तक आया था ।

(२) इसमें से ४८८ मन २० सेर घास बेचा गया और ६६५ मन २० सेर घास उन मवेशियों के लिए जो फागी और किशनगढ़ तहसीलों में से होकर यू. पी. की तरफ जा रहे थे उनको मुफ्त देने के लिए रखा गया ।

(३) जो बचा उसको नीलाम करने का प्रयत्न किया गया ।

श्री सरदारसिंह–जो घास खरीदा गया वह किस भाव से खरीदा गया और किस भाव से बेचा गया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–२ रु० १३ आ० मन से खरीदा गया और अलग अलग जगह जो खर्चा लगा कर पड़ता था उस भाव पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रेट्स थे ।

श्री सरदारसिंह–आपने फरमाया कि मवेशी किशनगढ होकर गये थे तो क्या किशनगढ रेल में होकर आये थे; किशनगढ होकर मालवे में जाने का रास्ता ही नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–क्या फरमाया आपने, सुना नहीं ।

श्री सरदारसिंह–मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि बचे हुए घास को, जो घास वहां बाकी था उसको किशनगढ से उधर मवेशी गये थे, उनको बांटने के लिये रखा गया था, तो ? उनको वाकई बांटा या नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)–जो मवेशी वहां होकर गये थे उनके लिए बांटा गया ।

८०

श्री भोपालसिंह–अलग अलग जगह के क्या रेट्स थे ?

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–मैंने आपसे अर्ज किया था, अलग अलग जगह के लिए अलग रेट्स थे ।

श्री भोपालसिंह–किसी एक जगह का रेट देदें ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–किसी एक जगह के ही नहीं, बहुत सी जगह के रेट्स दे सकता हूं, लेकिन समय चाहिये ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)–बचा हुआ घास कहां पर रखा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–मैंने अर्ज किया था कि वह नीलाम किया गया ।

प्रश्न संख्या १५७

श्री सरदारसिंह–क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे:--

(१) गांधी नगर का प्राकृतिक चिकित्सालय अरसे से चल रहा है, उसको सरकार से क्या क्या सहायता किस किस रूप में दी जाती है ?

(२) अगर हां, तो अब तक कितनी दी जा चुकी है ?

(३) अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

(४) अब क्या सहायता देना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–गांधी नगर का प्राकृतिक चिकित्सालय एक प्राइवेट संस्था के आधीन हैं । इसको कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती है ।

श्री सरदारसिंह–क्यों नहीं दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–मांगी ही नहीं गई और रूल्स में भी नहीं पडता है; दोनों ही बात थी ।

प्रश्न संख्या १५८

श्री तेजमल बापना–Will the Industries Minister be pleased to state :—

(*i*) How many lease and Prospecting Licence holders for mica are there in Udaipur Division and Bhilwara District respectively ?

(*ii*) How many prospecting Licences were issued during the year from January to December, 1952 ?

(*iii*) How many boundary disputes are going on between them ?

(*iv*) Is it a fact that proper plans and maps are not maintained by the Mining Department and it is why that majority of P.L. Holders

do not get the areas recommended by Mining Department and even sanctioned by the Government?

(v) How long will that go on?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)- (१) उदयपुर डिवीजन में अभ्रक की २१ खानों के पट्टेदार और १२८ पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र धारी (प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसी) हैं। भीलवाड़ा जिले में १२ पट्टे और लगभग ११६ पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र दिये गये हैं। कई पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों के पुनः नवीनीकरण पर विचार किया जा रहा है।

(२) सन् १९५२ के कलेन्डर वर्ष के अन्दर २१० प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस दिये गये हैं।

(३) इस समय डी.एम.जी. के ऑफिस में सीमा के कोई डिस्प्यूट्स पेंडिग नहीं हैं। उनकी अपीलें गवर्नमेन्ट के सामने अभी दायर हुई हैं, वे पेंडिग हैं।

(४) खान विभाग द्वारा उचित मानचित्र और नक्शे रखे जाते हैं। जहां कहीं भी, प्रार्थित क्षेत्र खाली होते हैं वहां खनिज रियायतों के लिए तमाम प्रार्थनापत्रों का परिनिरिक्षण किया जाता है और वे सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

(५) उपरोक्त उत्तर के कारण उसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री तेजमल बापना-कितने माईनिंग डिस्प्यूट्स नहीं स्वीकृत हुए हैं?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)-डी. एम. जी. के यहां कोई केसेज पेन्डिग नहीं हैं। उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिये हैं। उनकी अपीलें गवर्नमेंट के सामने आई हैं; वे पेन्डिग हैं।

माननीय अध्यक्ष-नेक्स्ट।

श्री तेजमल बापना-एकाध सप्लीमेन्ट्री करने दीजिये।

(विराम)

क्या इन लीज होल्डर्स, प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस होल्डर्स के अन्दर-ब्लाक होल्डर्स भी आ गए हैं?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मन्त्री)-जो सरवे के केसेज बताये हैं उनमें नहीं।

श्री अध्यक्ष-नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५६

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) सन् १९५२ के नवम्बर मास में सामाजिक सप्ताह सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मनाया गया था या नहीं?

Page No.6

(ब) यदि मनाया गया था तो उसमें राजगढ़ तहसील में, जो इस समारोह पर टिकट बेचे गये थे, उसकी कितनी रकम सरकार को प्राप्त हुई और वह किन किन कामों में कहां कहां पर व्यय की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—गत वर्ष नवम्बर मास में समाज शिक्षा सप्ताह नहीं मनाया गया ।

(ब) यह प्रश्न ही नहीं उठता

प्रश्न संख्या १५६ ए

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सरकार की ओर से प्रौढ एवं समाज शिक्षा विभाग भी खोला गया है ?

यदि खोला गया है तो राजगढ़ तहसील में गत वर्ष कितनी रकम इस कार्य के लिये दी जा चुकी है और कितने व्यक्ति साक्षर किये जा चुके हैं ?

(ब) इस विभाग द्वारा कितने ग्रामीणों को क्या क्या लाभ अब तक प्राप्त हुए हैं ?

(स) इस विभाग द्वारा कितने कर्मचारी इस तहसील क्षेत्र में लगाए गए हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—(अ) खास राजगढ़ में व इसके आस पास के ग्रामों में समाज शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं और इस कार्य के लिये एक समाज शिक्षा संयोजक भी राजगढ़ में रहता है जिनको ७५) रु० मासिक वेतन मय उपवेतन के समाज शिक्षा के बजट में से दिया जाता है। प्रौढशिक्षा केन्द्र राजगढ़ में तीन खोले गये हैं। दो पुरुषों के तथा एक स्त्रियों का। पुरुषों के केन्द्र चलाने वाले अध्यापकों को १५) रु० मासिक तथा महिलाओं के केन्द चलाने वाली अध्यापिका को २०) रु० मासिक अलाउन्स प्रौढ शिक्षा के बजट में से दिया जाता है और पढने के लिये स्लेट, पुस्तकें आदि सामान व रोशनी खर्च भी प्रौढ शिक्षा के बजट से ही होता है। प्रत्येक केन्द्र पर औसतन २० प्रौढ पुरुष अथवा २० प्रौढ महिलायें अध्ययन करते हैं । ४ माह बाद परिक्षा होगी, तब ही इसका निर्णय हो सकेगा कि कितने साक्षर हुए ।

(ब) प्रत्येक संयोजक को ५ ग्राम दिये गये हैं। एक ग्राम में ५०० व्यक्तियों के हिसाब से कुल २५०० ग्रामीणों को सफाई, स्वास्थ्य, खेती आदि की आवश्यकता के विषय में जानकारी प्राप्त करने और साक्षर बनाने की रुचि भी बढाने का लाभ प्राप्त हुआ है।

(स) एक समाज शिक्षा संयोजक राजगढ़ में रहता है और उसका नाम श्री रामानन्द शास्त्री है ।

श्री रामदयाल—क्या राजगढ के सिवाय और भी जगह ऐसे शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—राजस्थान के कई हिस्सों में ऐसे शिक्षा केन्द्र हैं ।

एक सदस्य—उदयपुर जिले में भी कोई ऐसा केन्द्र है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—कई जगह हैं।

श्री रामदयाल—उदयपुर में भी है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—मेरे खयाल में यह दूसरा प्रश्न है।

श्री रामदयाल—उदयपुर जिले के अलावा कहां कहा खोले गये हैं; क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा—हर जिले में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज चलती हैं; कहीं कम और कहीं ज्यादा।

श्री भैरूं सिंह—सबमे ज्यादा किस जिले में है।

श्री भोपालसिंह—क्या मेड़ते में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—नहीं।

श्री भोपालसिंह—क्या मेड़ता में आप इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—I think this question has tempted Members to ask so many other independent questions. They should kindly bear in mind that only supplementaries are allowed.

प्रश्न संख्या १६०

श्री भैरूं सिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(अ) राजस्थान में सन् १९५०, १९५१, १९५२ में कितने पशु भुखमरी से मारे गये ?

(ब) क्या सरकार को मालुम है कि इस वर्ष भी राजस्थान के कई हिस्सों में चारे की कमी के कारण पशु मर रहे हैं ?

(स) यदि हां, तो सरकार ने किस किस जगह क्या क्या प्रबन्ध किया है ?

(द) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवा कर उचित कार्यवाही किये जाने का शीघ्र ही कोई आदेश जारी करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—पिछले वर्ष अकाल के कारण कुछ मवेशियों की मृत्यु हुई थी; लेकिन उनकी ठीक तादाद क्या है इसको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसके पहले पशुओं की गणना नहीं हुई थी।

कुछ तहसीलों के अन्दर, खास तौर से बीकानेर में नौहर हनुमानगढ, तारानगर में चारे की कमी है और सरकार ने उसके लिए ५६,५०० रु० चारे को बाहर से लाने के लिए मंजूरी दी है। इसके लिए रेल्वे फ्रेट में भी सरकार सहूलियतें देगी।

श्री जसवन्तसिंह–क्या वहां पर मनुष्यों की मृत्यु भी हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–नहीं।

श्री जसवन्तसिंह–क्या मैं इस बात को बताऊं कि जोधपुर कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट ने इसके लिए चेलेन्ज दिया था कि आदमी मरे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास–नहीं, जोधपुर कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट ने चेलेन्ज नहीं दिया था।

श्री जसवन्तसिंह–तो आप बताएंगे कि किसने दिया था ?

श्री जयनारायण व्यास–ऐसा सवाल पैदा नहीं होता।

श्री माधोसिंह–आंकड़े इकट्ठे करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–चूंकि पशुओं की पहले गणना नहीं हुई थी इसलिए आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके।

श्री खेतसिंह–क्या जैसलमेर, पोकरण, फलोदी आदि में जहां कि भारी घास की कमी है वहां पर भी क्या सरकार कोई घास का प्रबन्ध करेगी या बीकानेर में ही करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–जहां जहां परिस्थिति खराब होगी वहां सब जगह प्रबन्ध किया जायगा।

श्री खेतसिंह–क्या सरकार यह महसूस करती है कि वहां की परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे कि वहाँ पर घास का प्रबन्ध कियाजावे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया–जी हां, ऐसा समझती हैं कि वहाँ की परिस्थिति ऐसी खराब नहीं है।

श्री संतोषसिंह–क्या पशुओं के मर जाने के बाद घास का प्रबन्ध किया जाएगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया–नहीं, समय पर ही किया जाएगा।

श्री खेतसिंह–सरकार किस आधार पर कहती है कि जैसलमेर, फलोदी आदि में घास का प्रबन्ध है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर घास की बहुत कमी है क्योंकि वहां पर टिड्डी का बहुत भारी प्रकोप हुआ था।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अब तक की जानकारी तो यहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप कहते हैं कि वहां पर घास की परिस्थिति खराब है तो अवश्य इसकी जानकारी हासिल की जावेगी।

प्रश्न संख्या १६१

श्री एच. के. व्यास—Will the **Minister-in-Charge for Revenue** be pleased to answer :—

(*a*) What is the total amount actually collected from Jagirdars on account of settlement work upto 31st December, 1952 ?

(*b*) What is the total amount due from them upto the same date ?

(*c*) What is the maximum period for which any of these amounts is due ?

(*d*) Has any attachment proceeding been started against any Jagirdar ? If so, in how many cases ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(क) ५,४५,६४७) रु०

(ख) २४,६४,२३८।।।-।।

श्री एच. के. व्यास—मेरे (सी) और (डी) का उत्तर आपने अभी तक नहीं दिया। मैंने पूछा है, "Maximum period for which any of these amounts is due" and "has any attachment proceedings been started against any Jagirdar".

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पिछले मेवाड सरकार के समय से जागीरदारों के एरियर्स बाकी हैं।

श्री एच. के. व्यास—इसी प्रकार मेरे (डी) का जवाब नहीं दिया गया। मैंने कानूनी कार्यवाही के बारे में नहीं पूछा है मैंने यह पूछा है। कि कोई स्पेसेफिक कार्यवाही की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इन दिनों में भी कार्यवाही की जा रही है।

श्री एच. के. व्यास—मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई कार्यवाही की गई या नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—की जारही है; लेकिन तादाद की सूचना अभी नहीं दी जासकती।

श्री एच. के. व्यास—जो २४ लाख की रिकवरी बाकी है उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कानून के अनुसार इसकी रिकवरी की जाएगी। ५ लाख के करीब वसूली की गई है और बाकी जो रही है उसकी भी रिकवरी कानून के अनुसार करेंगे।

प्रश्न संख्या १६२

श्री तेजमल बापना—Will the **Industries Minister** be pleased to state :—

(*i*) How many fatal accidents took place in Mica Mines in Udaipur Division within the last six years and whether compensation has been paid to their survivors.

(*ii*) How many Inspectors have been appointed for Mica Mines in this Division ?

(*iii*) Is it a fact that many P.L. Holders are not working systematically and that is why fatal accidents occur.

(*iv*) What measures Government is taking in this respect ?

श्री रामकिशोर व्यास—1. The information required is not available with the Rajasthan Government as the enforcement of Mines Act and other Labour Laws for mines is the concern of the Central Government. The Inspectors of Mines, Ajmer and Udaipur, have been requested to send information.

2. Same as one.

3. Accidents occur mostly due to non-compliance with the provisions of Mines Act and Explosives Act which specifically demand careful and systematic working of mines and use of explosives.

4. The Inspectorate of Mines, and the Inspectorate of Explosives, Government of India, have arranged regular inspection of mines and explosives magazines to ensure safety of mine workers.

श्री तेजमल बापना—Is the question to be considered as pending because the information has not been made available ?

श्री रामकिशोर व्यास—अजमेर और उदयपुर में गवर्नमेन्ट-ऑफ इंडिया के [illegible]सेज हैं; उनको लिखा है कि सूचना दें; पर अभी सूचना आई नहीं है।

श्री तेजमल बापना—When will this question be replied to ?

श्री रामकिशोर व्यास—As soon as we receive a reply from the Government of India.

श्री तेजमल बापना—Can a date be fixed for this ?

श्री रामकिशोर व्यास—गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने तारीख मुकर्रर नहीं की है।

प्रश्न संख्या १६३

श्री तेजमल बापना--क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:--

१. भीलवाडा नगर की जन-संख्या कितनी है।

२. यहां कोई एक्सरे प्लान्ट आया हुआ है? यदि आया हुआ है तो कब से?

३. जब से एक्सरे प्लान्ट आया है कोई एक्सरे डाक्टर भी नियुक्त किया गया है या नहीं? यदि किया गया है तो कितने दिन उन्होंने कार्य किया? और उनको फिर हटाने में क्या रहस्य था?

४. अब भी सरकार भीलवाड़ा में एक्सरे डाक्टर भेजने की व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो यह कब तक सम्भव हो सकेगा?

श्री रामकरण जोशी--१. भीलवाडा नगर की जनसंख्या गत जनगणना के अनुसार १६६६८ है।

२. एक पोर्टेबिल एक्सरे लगभग ५ साल से आया हुआ है।

३. एक्सरे डॉक्टर ता० ३०-६-५२ को नियुक्त किया गया था जिसने ता: १४-११-५२ तक कार्य किया। किन्तु वहां पर एक्सरे की छोटी मशीन होने के कारण तथा केवल स्क्रीनिंग सम्बन्धी ही कार्य होने से उस डाक्टर का बूंदी स्थानान्तर करना आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि वहां की एक्सरे की बड़ी मशीन, एक्सरे विशेषज्ञ बिना कोई विशेष उपयोग में नहीं आती थी और भीलवाड़ा में इस कार्य के लिये एक्सरे टेक्नीशियन लगाया गया है जो वहां इस कार्य को कर रहा है।

४. नई इमारत में होस्पिटल तब्दील होने पर तथा नया एक्सरे प्लान्ट लगने पर डाक्टर नियुक्त किया जावेगा।

श्री तेजमल बापना--उस डाक्टर ने एक हफ्ते तक काम किया, फिर उस डाक्टर को क्यों हटाया गया और बूंदी क्यों भेजा गया?

श्री रामकरण जोशी--बूंदी में बड़ी एक्सरे मशीन है और भीलवाड़े में छोटी मशीन है और भीलवाड़े में बिजली वगैरह की भी बड़ी दिक्कत थी, इसलिये उस डाक्टर को बूंदी भेजा गया।

श्री तेजमल बापना--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस केपेसिटी की मशीन भीलवाड़ा में है और किस केपेसिटी की मशीन बूंदी में है?

श्री रामकरण जोशी--मशीनें किस केपेसिटी की हैं, यह मैं अभी नहीं बता सकता; पर भीलवाड़ा में बिजली नहीं है। अतः एक्सरे की मशीन वहां ठीक तौर से काम नहीं करती थी। सिनेमा वालों से तय करके वहां बिजली का इंतजाम किया गया और वहां दूसरा टेक्निशियन काम कर रहा है।

Page No.12

श्री तेजमल बापना—क्या माननीय मन्त्री को मालूम है कि भीलवाडा में साल भर से बिजली है और वहाँ काफी अच्छी हालत में बिजली चल रही है।

श्री रामकरण जोशी—बिजली चालू है लेकिन वोल्टेज इतना नहीं है।

श्री संतोष सिंह—भीलवाडा में यह एक्सरे की मशीन कितने अर्से से है?

श्री रामकरण जोशी—मैंने अर्ज किया था कि ५ साल से है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसा कायदा है कि २३० वोल्टेज के ऊपर ही बिजली दी जाती है; क्या वहां २३० वोल्टेज से कम है।

श्री रामकरण जोशी—इसका जवाब में अभी अर्ज नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६४

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(अ) अलवर जिले में कितने हाई स्कूल हैं?

(ब) अलवर जिले में कौनसी ऐसी तहसील है जिसमें हाई स्कूल नहीं है?

(स) हाई स्कूलों को कालेज बनाने का सरकार ने क्या कोई नियम बना रक्खा है?

(द) यदि बना रक्खा है तो बतलाने की कृपा करें?

(घ) यदि इस प्रकार के कोई नियम नहीं हैं तो किस प्रकार से हाई स्कूल को कालेज बनाया जाता है?

(ह) मिडिल स्कूल को हाई स्कूल के स्तर का बनाने के हेतु क्या नियम सरकार ने बनाये हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा—(अ) अलवर जिले में ६ हाई स्कूल हैं।

(ब) निम्नलिखित तहसीलों में हाई स्कूलें नहीं हैं—

१. रामगढ २. थानागाजी ३. बानसूर ४. किशनगढ़

(स) ऐसे कोई खास नियम नहीं हैं।

(घ) हाई स्कूल की छात्र संख्या, आसपास के हाई स्कूलों की संख्या, वहां की आबादी तथा उस नगर की प्रमुखता, उचित इमारत, फर्नीचर का प्रबन्ध आदि बातों को ध्यान में रखते हुए किसी हाई स्कूल को कॉलेज बनाने की सिफारश की जाती है।

(ह) कोई खास नियम नहीं है। इस विषय में स्थान की आबादी, मिडिल स्कूल की छात्र संख्या, मकान तथा फर्नीचर आदि की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर विचार किया जाता है।

एक सदस्य–राजगढ़ हाई स्कूल को कालेज बनाने के बारे में क्या सरकार कोई विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष–This is advancing a step further. Next.

प्रश्न संख्या १६५

श्री एच. के. व्यास–Will the **Minister-in-Charge for Education** be pleased to answer :—

(*a*) Has the Government made any declaration that no fees will be charged from students upto VII standard ?

(*b*) Is the Government aware that students of VII standard are charged Rs. 2/- per month as tuition fees.

(*c*) Is the Government aware that this is even more than what is charged from the students of the IX class ?

(*d*) Does the Government propose to honour the declaration and not charge fees from students of VIII standard ?

श्री नाथूराम मिर्धा–(अ) सरकार द्वारा ऐसी कोई विज्ञप्ति नहीं जारी की गई ।

(ब) जहां जहां २) रुपया मासिक ट्यूशन फी ली जाती थी वहां इस वर्ष से डेढ़ रुपया मासिक कर दी गई है ।

(स) चूंकि अब ट्यूशन फी कम कर दी गई है इसलिए नवीं कक्षा से अधिक नहीं है ।

(द) चूंकि ऐसी कोई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने जोधपुर के छात्रों के सामने इस प्रकार का ऐलान किया था ।

श्री नाथूराम मिर्धा–जी नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या सरकार ने संबन्धित कागजात से और प्रेस पब्लिसिटी की रिपोर्ट्स से इस सबन्ध में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है ।

श्री नाथूराम मिर्धा–इस सम्बन्ध में कोई कागजात सरकार के पास नहीं हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या इस सम्बन्ध में पब्लिसिटी की रिपोर्ट्स से जानकारी हासिल करने की कोशिश की हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा–उन रिपोर्टस से रेकर्ड ज्यादा रिलायेबिल माना जायगा ।

Page No.14

श्री हरिकृष्ण व्यास–पब्लिसिटी विभाग की ओर से मिनिस्टर्स के दौरों के सम्बन्ध में जो प्रेस नोट्स निकलते हैं क्या उन्हें रिलायेबिल नहीं माना जाय ।

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६६

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु–क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) गंगानगर जिले में कितनी सरकारी बारानी भूमि लोगों को तकसीम की गई ?

(ख) इसमें से कितनी काश्त हुई है ?

(ग) उस सारी तकसीम शुदा भूमि पर सरकारी रकम कितनी वसूल होगी ?

(घ) क्या उस काश्त की आमदनी में से सरकारी रकम पूरी हो सकेगी ?

(ङ) अगर नहीं हो सकेगी तो सरकार उस रकम को माफ़ करने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होने पर दिया जायगा ।

(बाद में प्राप्त हुआ जो निम्नलिखित है—

(क) ३'७८'५६७ बीघा बारानी भूमि जिसमें नहरी इलाके का uncommanded रकबा भी शामिल है, अलॉट की गई ।

(ख) वर्षा की कमी की वजह से काश्त बहुत ही कम हुई ।

(ग) इसके विषय में आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं ।

(घ) नहीं ।

(ङ) लगान में छूट-थाम देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।)

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६७

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु–क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

गंगानगर जिले के उस इलाके में जहां कि भाखडा नहर का पानी लगेगा सरकार क्या नजराना वसूल करेगी और उस नजराने की हद मुकर्रर करते वक्त बीकानेर सरकार के उस इलाके से किये गये तहरीरी वायदे जिनके मुताबिक सरकार ८ रुपया फी बीघा से ज्यादा नजराना वसूल नहीं कर सकती, का ध्यान रखेगी ?

Page No.15

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–इस विषय में सरकार ने निम्नलिखित अधिकारियों की एक कमेटी नियुक्त की है जो पूरी छानबीन करके सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी:—

१. चेयरमेन बोर्ड आफ रेवेन्यू ।

२. सेटलमेन्ट कमिश्नर ।

३. जागीर कमिश्नर ।

४. कमिश्नर बीकानेर ।

५. कॉलोनोइजेशन आफिसर, हनुमानगढ़ ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–ऐसा जो वादा किया गया है क्या सरकार उसका ध्यान रखेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–इस पर विचार किया जायगा ।

प्रश्न संख्या १६८

श्री तेजमल बापना–क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :–

१. कस्बा पुर (जिला भीलवाडा) में कोई हॉस्पिटल खोला गया था ? यदि हां, तो कब खोला गया था ?

२. जब से हॉस्पिटल खोला गया कुल कितने डाक्टर वहां नियुक्त किये गये और कितने दिनों तक उन्होंने काम किया ?

३. क्या सरकार अब भी इसकी उचित व्यवस्था करने के विषय में सोच रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? कब से उसको अमल में लाने की आशा की जानी चाहिए ।

श्री रामकिशोर व्यास–(१) कस्बा पुर जिला भीलवाडा में ता० १४.११.४६ से डिस्पेन्सरी खोली गई है ।

२. डाक्टर के रहने के मकान की व्यवस्था न होने से तथा डाक्टरों की कमी के कारण कोई डाक्टर अभी तक नियुक्त नहीं किया गया और कम्पाउन्डर काम कर रहा है ।

३. उपरोक्त व्यवस्था सुधरते ही शीघ्र डाक्टर नियुक्त करने की कोशिश की जावेगी ।

श्री तेजमल बापना–४ साल में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्या कोई प्राइवेट मकान किराये लेने की कोशिश नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास–सी. एस. आई. क्लास के मकान अवेलेबल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–His question is quite different. He says, "Was an attempt to hire a house for the doctor made ?"

श्री रामकिशोर व्यास–हां अच्छे मकानात मिलते नहीं हैं, जो डाक्टर के रहने के लायक हों ।

श्री तेजमल बापना–क्या आपने पुर कस्बे का कभी मुलाहिजा किया है कि वहां पर बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास–सवाल मकान खाली पड़े रहने का नहीं है, सवाल मकान मिलने का है । लोग मकान किराये पर देते नहीं हैं ।

श्री तेजमल बापना–क्या आपने कभी मकान लेने का एटेम्प्ट किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास–आप ही एटेम्प्ट करके देखिये

श्री रोशनलाल–मैं यहां बैठे बैठे ही मकान किराये दिला सकता हूं ।

श्री रामकिशोर व्यास–तो मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा ।

श्री तेजमल बापना–जब कि इस तरह के कामों के लिए मकान रिक्वीजीशन का कानून बना हुआ है तो आप उसे काम में क्यों नहीं लाते ?

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर । नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६६

श्री तेजमल बापना–क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :–

१. भीलवाडा में अभी कितने डाक्टर हैं और वे कब कब से हैं ?

२. साधारणतया कितने समय में एक डाक्टर को स्थानान्तर करने का नियम है व उसका क्या तरीका है ?

३. मार्च सन् ५२ से जनवरी सन् १९५३ तक भीलवाडा के डाक्टरों को कितनी बार स्थानान्तर करने के आदेश निकाले गये और वापस रद्द किये गये और क्यों ?

४. क्या यह सही है कि कई दफा स्थानान्तर के आदेश के साथ साथ ही या उसके दो तीन रोज बाद ही उस आदेश को रद्द किये जाने के आदेश भी सम्बन्धित डाक्टर को मिले हैं ? ऐसा क्योंकर व कैसे होता है ?

५. क्या इतने आदेशों के कोई विशेष कारण होते है ?

श्री रामकिशोर व्यास–(१) भीलवाडा में, अलावा डी. एम. एच. तथा लेडी डॉक्टर के तीन अन्य निम्नलिखित डाक्टर हैं जिनको वहां लगाये जाने की तारीख प्रत्येक के नाम के सामने है :–

(क) डाक्टर परमानन्द ता० ६.८.५२

(ख) डाक्टर प्रीतम सिंह ता० १४.११.५२

(ग) डाक्टर के. सी. बोस ता० २६.१२.५२

२. स्थानान्तर किये जाने के कोई विशेष नियम नहीं है; आवश्यकतानुसार स्थानान्तर किये जाते हैं।

३. डाक्टर सुगन लाल नाहर व डाक्टर माणिकलाल व्याती को स्थानान्तर करने के आदेश तीन बार निकाले गये और दो बार शासन सम्बन्धी कारणवश रद्द करने पड़े।

४. उपरोक्त डाक्टरों के सम्बन्ध में यह बात सत्य है; मगर शासन सम्बन्धी कारणों से ऐसा हुआ है।

५. हां।

प्रश्न संख्या १७०

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु–क्या शिक्षा मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) केसरीसिंहपुर गवर्नमेन्ट मिडिल स्कूल की इमारत किसके खर्च से तैयार की गई थी और उस स्कूल को सरकार ने आज तक कितना फर्नीचर दिया है?

(ख) यदि कोई दिया है तो क्या?

(ग) यदि नहीं दिया तो उसका कारण क्या?

श्री नाथूराममिर्धा (शिक्षा मंत्री)–(क) केसरीसिंहपुर स्कूल की इमारत पब्लिक के खर्चे से तैयार की गई थी। यह प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल नहीं।

(ख) इस स्कूल को १५ बेंत की कुर्सियें तथा ४० टाट पट्टी पब्लिक की ओर से दी गई हैं।

(ग) फर्नीचर स्कूल में पर्याप्त है; इसलिए सरकार की ओर से नहीं दिया गया।

श्री गुरुदयाल सिंह–फर्नीचर सरकार की तरफ से क्यों नहीं दिया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा–क्योंकि पब्लिक की तरफ से मिल गया इसलिए सरकार की तरफ से नहीं दिया गया।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या सरकार को खयाल है कि कई दिनों तक लड़के फर्श पर बैठे रहे?

श्री नाथूराम मिर्धा–इसीलिए लोगों ने कोशिश करके कमी पूरी कर दी

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु–फिर सरकार का क्या काम रह गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा–पब्लिक से जबरदस्ती नहीं लिया गया । उनकी इच्छा थी, इसलिए दिया ।

श्री जसवन्त सिंह–क्या सरकार को विदित है कि केसरीसिंहपुर के पास ही रायसिंहनगर की स्कूल के हॉल की छत पांच साल से लगी हुई नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा–मेरे खयाल से कई दफा यह प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा चुका है । बजट के समय भी पिछली बार आपने पूछा था और उसका जवाब दिया गया था ।

श्री जसवन्तसिंह–वहां पर छत नहीं लगी हुई है ; क्या यह ठीक बात है ?

श्री नाथूराम मिर्धा–मैंने इसपर पहले काफी प्रकाश डाला था ।

श्री जसवन्तसिंह–क्या गवर्नमेन्ट इस तरह से अपने कर्तव्य का पालन कर रही है ?

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु–वहां पर कमी थी इसलिये उसे पूरा करने का क्या सरकार का कर्तव्य नहीं था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या यह समझा जाय कि सरकार की नीति यह है कि पहले मदद नहीं देना ; ताकि लोग तंग आकर खुद ही पैसा इकट्ठा करके काम करलें ।

अध्यक्ष महोदय–ऑर्डर ऑर्डर । नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १७१

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) हनुमानगढ के उस बरानी इलाके में जहां पिछली २ साल से कोई फसल नही हुई पीने का पानी, तकाबी और चारे के लिये क्या प्रवन्ध किया गया ?।

(ख) और अगर नहीं किया गया तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)–तहसील हनुमानगढ़ के बारानी इलाके में जहां फसल नहीं हुई अकाल पीड़ित जनता की सहायता के लिये निम्न लिखित रकम खर्च के लिये दी गई:–

१.	अकाल सहायतार्थ कार्य	२१५००) रुपये
२.	पानी का प्रबन्ध	४०००) रुपये
३.	पशु सहायतार्थ	१०००) रुपये
४.	ग्रेटिच्युअस रिलीफ	२०००) रुपये

५. तकावी २४७५०) रुपये

६. मुतफरिक १०००) रुपये

इसके अलावा चारेकी आमद पर रेल किराया में कन्सेशन दिया गया ।

(ख) पैदा नहीं होता ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार ने चारा बांटा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि चारे की कमी के कारण सरकार द्वारा चारा नहीं मंगाया गया ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—तो सरकार ने इस बारे में क्या किया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—रेलवे फ्रेट में कन्सेशन दिया और जो लोग बाहर जा रहे थे उनको परमिट की सुविधा दी । सरकार को जो कुछ खर्च करना पडा, किया ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार को पता है कि चारे के लिये गाडियें नहीं मिल रही हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अब गाडियें मिलनी शुरू हो गई हैं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—कब से मिलनी शुरु हो गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—तारीख तो नहीं बतला सकता क्योंकि अलग २ स्थानों से मिलती है ।

प्रश्न संख्या १७२

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :—

(क) चक नं० ६८ एल. एन.पी. में मुरब्बा नं. १६, ६०, ११,१२ और ५६ किन किन को अलॉट हैं और कबसे ?

(ख) पटवारी की इस रकबे की नाजायज काश्त की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस प्रश्न का उत्तर अब तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(बाद में प्राप्त हुआ उत्तर निम्न लिखित है:—

(क) चक नं० ३८ एल.एन.पी में ये मुरब्बे इस तरह अलॉट किये गये हैं :

मुरब्बा नं० १६ ½ धन्ना और ½ गनेसा

मुरब्बा नं० ६० गंगाराम

मुरब्बा नं० ११ ½ दीनाराम

मुरब्बा नं ११ ११२ हंगाराम ११२ पोखर
मुरब्बा नं ५६ अलाट नहीं हुआ ।

(ख) पटवारी की रिपोर्ट पर मुरब्बा नं० ५६ के मौजूदा काबिज पर नाजायज कब्जे के बिना पर तावान कायम कर दिया गया है ।

(ग) मुरब्बा नं० ६० व ५७ के लिए लछमनसिंह व बगासिंह ने असिस्टेण्ट कलेक्टर के सामने कोई दरख्वास्त पेश नहीं की और ना किसी और व्यक्ति ने ऐसी दरख्वास्त पेश की है ।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—जमीन के मुताल्लिक जितने सवाल आते हैं उनमें से अब तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया । न पहले का, न दूसरे का ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने बहुत से जमीन के प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। यह प्रश्न ऐसा है कि चक नं० ६८ एल.एन.पी. में नं० १६,६०,११,१२और ५३ किन किन को अलॉट है और कब से ; यह काफी विस्तृत जानकारी है जिसके लिये पटवारी तक से इकट्ठे करने पड़ेंगे ।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—इसका मतलब यह समझना चाहिये कि पटवारी से जवाब नहीं आयगा तो जवाब नहीं दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सम्बन्ध में कुछ तय हो जाना चाहिये कि जो प्रश्न सरकार से उत्तर प्राप्ति के लिये रक्खे जाते हैं उनका उत्तर प्राप्त करना मेम्बरों का अधिकार है । यदि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है तो वह प्रश्न आगे रखना चाहिये ।

श्री बी. एन. जोशी—ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, क्या यह सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a point of order?

श्री अध्यक्ष—We are making arrangements to note down such questions and we will press the Government to give replies to such questions.

प्रश्न संख्या १७३

श्री तेजमल बापना—क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय निम्न लिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(१) मंडलगढ डिस्पेन्सरी के वर्तमान डाक्टर की अवधि कब समाप्त हुई ?

(२) कितनी बार उनकी अवधि बढ़ाई गई और अब उसका समय कब समाप्त होगा ?

(३) जनता का विरोध होने पर भी उनकी अवधि बढ़ाने के कोई विशेष कारण हैं ? अगर हैं तो क्या ?

(४) क्या यह सच है कि जनता की उनके विरुद्ध शिकायतें होने पर उनकी जांच के आदेश दिये गये परन्तु संबन्धित जांच की रिपोर्ट मिलने से पहले ही उनकी अवधि तीन महीने के लिये और बढ़ाती गई ? यह क्यों कर हुआ ?

(५) क्या उक्त डॉक्टर के विरुद्ध उनके अभद्र व्यवहार की वजह से पंचायत मांडलगढ़ में एक मुकदमा चल रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)—मांडलगढ़ डिस्पेन्सरी के वर्तमान डॉक्टर की अवधि फॉर्मर राजस्थान के आदेशानुसार ३०-६-४६ को समाप्त हुई।

(२) छः बार अवधि बढ़ाई गई और अन्तिम अवधि का समय ता० ३१-३-५३ को समाप्त होगा।

(३) तथा (४) डाक्टरों की अत्यन्त कमी के कारण ऐसा करना आवश्यक था तथा उस समय जनता का भी विशेष विरोध न था। सम्बन्धित जांच की रिपोर्ट मिलने पर फौरन उचित कार्यवाही की जावेगी।

(५) इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को कोई सूचना नहीं है ?

श्री संतोष सिंह—उक्त डाक्टर की आयु क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सन् ४६ में ५५ साल थी।

श्री तेजमल बापना—उनकी अवधि छठी बार क्यों बढाई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—डाक्टर की कमी थी। अब पी. एस. सी. ने ४५ डाक्टर सिलेक्ट करके भेज हैं।

श्री तेजमल बापना—सब क्वेश्चन नं ५ का जबाब नहीं मिला है।

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसी कोई शिकायत गवर्नमेन्ट के पास नहीं आई।

श्री तेजमल बापना—क्या मांडलगढ़ पंचायत में उनके खिलाफ मुकद्दमा नहीं चल रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार को मालूम नहीं है।

श्री संतोषसिंह—क्या यह बात सही है कि उक्त डाक्टर को आंखों से कम दिखता है ?

श्री अध्यक्ष—This is information you are giving.

प्रश्न संख्या १७४

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे—

(क) रायसिंह नगर कॉंस्टिट्युएन्सी की कितनी आबादी है ?

(ख) उसमें कितने अस्पताल हैं और सरकार उस इलाके के रहने वालों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये क्या खर्च करती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—रायसिहनगर कॉंस्टिट्युएन्सी में एक डिस्पेन्सरी है जिस पर सरकार ५६५०) रु० वार्षिक व्यय करती है।

श्री रोशनलाल—वहां की आबादी नहीं बतलाई ?

श्री रामकिशोर व्यास—आबादी का संबन्ध इस डिपार्टमेन्ट से नहीं है फिर भी मैं बतला देता हूं कि वहां की आबादी २,२६,११७ है।

श्री रोशनलाल—क्या आबादी के अनुसार यह डिस्पेन्सरी काफी है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं तो यह नहीं मानता पर यह मानता हूं कि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि एक से ज्यादा डिस्पेन्सरी खोली जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने जिला और तहसील को छोड़ कर अब कॉंन्सटिट्युएन्सी के लिहाज से विचार करना प्रारम्भ कर दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार ने ऐसा कोई विचार नहीं किया है; पर सदस्य जिस टर्म में पूछते हैं उसी टर्म में जवाब दिया जाता है।

प्रश्न संख्या १७५

श्री जवानसिंह—क्या शिक्षा मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

१. सिरोही जिले में स्कूल अध्यापकों में से कितने अध्यापक बिना तबादला हुए डेपुटेशन पर अन्य स्कूलों में काम कर रहे हैं और क्यों ?

२ सिरोही जिले के स्कूलों में अध्यापकों की संख्या क्या पर्याप्त है ?

३. यदि नहीं, तो पूरी क्यों नहीं की जारही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा—(१) सिरोही जिले में ५१ अध्यापकों को बिना तबादले डेपूटेशन पर अन्य स्कूलों में भेजा गया है। क्योंकि एक अध्यापक वाले स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण दूसरे अध्यापक का भेजना आवश्यक था। एक अध्यापक अधिक से अधिक ३५ छात्रों को संभाल

सकता है । कुछ स्कूलों में छात्र संख्या कम होने के कारण वहां अध्यापक फालतू हो गये हैं। इसलिये ऐसे अध्यापकों को आवश्यकतानुसार अन्य स्कूलों में भेजा गया ; किन्तु अब कुछ स्कूलों का स्तर बदल दिया गया है इसलिये ड़ेपूटेशन की संख्या कम हो जावेगी। (२) सिरोही जिले के स्कूलों में अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है। किसी स्कूल में छात्र संख्या अधिक होने से, अन्य ऐसे स्कूलों में जहां छात्र संख्या कम हो जाती है वहां अध्यापक भेज दिये जाते हैं। किन्तु अब कुछ स्कूलों का स्तर बदल गया है; इसलिये ऐसे डेपुटेशन की संख्या कम हो जावेगी ।

प्रश्न संख्या १७६

श्री भीमसिंह—क्या राजस्व मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) राजस्थान सरकार को राजस्थान के भूतपूर्व राज्यों के प्रत्येक राजस्व से कितनी कितनी राजस्व की बकाया (रेवेन्यु एरियर्स) मिली थी ?

(ब) राजस्थान बनने के बाद से अब तक याने १९५२-५३ तक डिविजन वार प्रतिवर्ष कीराजस्व बकाया (रेवेन्यु एरियर्स) क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—(अ) इस विषय में आंकड़े तैयार नहीं हैं।

(ब) सन् १९५२ (नवम्बर) तक के आंकड़े मिल सके हैं जोकि नीचे दर्ज है—

डिविजन	खालसा	जागीर	मोजान
१. बीकानेर	१२,३१०५६	४,१३००३	१६,४४०५९
२. जयपुर	५१,४९२९६	१६,२४१४८	६७,३७४४४
३. जोधपुर	७,०३६९७	१६,५४२४३	२३,५७९४०
४. कोटा	१४,५४२११	९६१६९	१५,५०३००
५. उदयपुर	११,३७१९९	१,६५६०७	१३,०२८०६
	९६,७५,४५९	३९,५३१७०	१३७,२८६२९

श्री भैरूंसिंह—इन बकाया को वसूल करने का सरकार ने क्या क्या बन्दोबस्त किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—सब जगह अलग अलग वसूली की कार्यवाही की जा रही है । अकाल की स्थिति से पहले वसूल नहीं किया जा सका था ।

एक सदस्य—कोटा डिविजन में बकाया रहने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—पिछले साल वहां अकाल की वजह से वसूल नहीं किया गया था और इसलिए बकाया रह गया ।

श्री हिम्मतसिंह–क्या पिछले साल अकाल की वजह से रेमिशन नहीं दिया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–दिया गया था ।

श्री हिम्मतसिंह–क्या सस्पेन्शन भी इसी में शामिल है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–अगर पूरा सस्पेन्शन दे दिया जाता तो बकाया का सवाल ही नहीं रहता ।

प्रश्न संख्या १७७

श्री बलवीरसिंह–क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

जिन जागीरी गांवों की पैमाइश हुए काफी अर्सा हो गया है उनको अभी तक पर्चा खतौनी क्यों नहीं दी गई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–यह प्रश्न काफी विस्तृत है। इसमें किसी स्थान विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है: अतः देरी का कारण निश्चित कहा जाना आसान नहीं है । भिन्न भिन्न जगहों में पर्चे तैयार करके बांटने में, वहाँ की विशेष परिस्थितियों के कारण और प्रोसिजर की वजह से यह कार्य अधिक समय लेता है । सर्वे के बाद असेस्मेन्ट और उसके बाद रेट और दूसरी चीजें तैयार करने के बाद फिर पर्चे बांटे जाने हैं । अतः जब तक निश्चित स्थान का पता नहीं बताया जाता तब तक इस विषय में निश्चित रूप से कहना कि क्यों देर हुई कठिन है।

श्री बलवीरसिंह–सीकर जिले में पर्चे अब तक नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि अगर निश्चित स्थान का पता बताया जाता तो मैं उसकी जानकारी करके आपको सूचित करता । सीकर जिले का सवाल तो बहुत बड़ा है और इस सम्बन्ध में मैं आपको सूचना दे चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १७८

श्री तनसिंह–क्या शिक्षा मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

बाढमेर तहसील और शिव तहसील में पृथक पृथक कितनी स्कूलें हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)–इस विभाग में स्कूलों की लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तहसील वाइज नहीं, इसलिये बाढमेर जिले में जिसमें बाढमेर और शिव की तहसील भी शामिल हैं जो जो स्कूलें हैं उनकी सूची निम्न रूप से बतलाई जाती है......

Page No.25

श्री अध्यक्ष–क्या सूची लम्बी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)–सूची लम्बी नहीं है, छोटी ही है। सूची इसी प्रकार है :–

हाई स्कूलें–१. हाई स्कूल बाढमेर। २. हाई स्कूल बालोतरा।

मिडिल स्कूलें–मिडिल स्कूल सिवाना, बाढमेर, मोकलसर, पचपद्रा, समदड़ी, खनडप, जसोल।

प्राइमरी स्कूलें–प्राइमरी स्कूल गुरानल, पचपद्रा साल्ट, गंगा, पारलू, बालोतरा नं० १, बालोतरा नं० २, बाढमेर नं० १, बाढमेर नं० २, बाढमेर नं० ३, शिव मान्डली, समदडी, कानाना, गुड़ा मालानी, छोटन, राखी, कल्यानपुरा, असोवा, चुली, सियानी, बिसाल, सिन्धड़ी, छोटीमाना, सरवाड़ी, अजित, मोटीसारा, किडनोप, पटोड़ी, सिराण, सिलोर, मजिल, कुसीप, आसरदा, कोटरा, थोब, नेट, रानीगांव।

गर्ल्स स्कूलें–१. बाडमेर। २. बालोतरा। ३. सिवाना।

श्री संतोषसिंह–हाईस्कूल जहां जहां हैं क्या वहां कोई बोर्डिंग हाउस भी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)–यह एक अलग सवाल है।

श्री गंगासिंह–इनमें से कितने ऐसे स्कूलें है जिनमें छः माह छुट्टी रहती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा–मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है, जिसमें छः माह छुट्टी रहती हो। वैसे छुट्टी जो रहती हैं वे इनमें भी रहती ही हैं।

श्री गंगासिंह–इनमें से कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही मास्टर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)–यह एक अलग प्रश्न है जो अलग प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७६

श्री बलवीरसिंह–क्या कानून मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

सीकर जिले से डिस्ट्रिक्ट एवं सैशन जजी हटाने की आज्ञा को रोकने का आश्वासन देने के पश्चात भी उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)–इस विषय में हाईकोर्ट से राय ली गई कि डिस्ट्रिक्ट सैशन कोर्ट का हैडक्वार्टर झुन्झुनू में रहना चाहिये अथवा सीकर में। काम को देखते हुए एवं खर्चे का खयाल करते हुए झुन्झनू और सीकर दोनों जगह डिस्ट्रिक्ट एवं सैशन कोर्ट रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

Page No.26

श्री बलवीरसिंह—क्या आपने जो आश्वासन दिया था उसका यही जवाब है ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—सीकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रेकॉर्ड वहीं रखे जाने के सम्बन्ध में आज्ञा जारी की जा चुकी है । उसको सीकर नहीं भेजा जावेगा ।

श्री भैरूंसिंह—आश्वासन क्या दिया गया था क्या बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—आश्वासन जैसी तो कोई बात नहीं थी । बातचीत जरूर हुई थी । सीकर में सिविल जजी का ओफिस था जो अब एबोलिश हो चुका है । एडीशनल जज की पोस्ट कायम हो चुकी है । यदि सिविल जज भी वहां कायम रखा जाता तो उसके जजमेन्ट अल्ट्रावायर्स (ultra vires) हो जाते ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—तो क्या वहां सेशन कोर्ट नहीं रहेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मन्त्री)—यह मामला चीफ जस्टिस के सामने है । वहां की राय जो आएगी, उस पर कार्यवाही की जाएगी ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—तो क्या पहले राय नहीं ली गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—चीफ जस्टिस से यह राय ली गई है कि सीकर और झुन्झुनूं में जो भी उपयुक्त जगह हो उसके लिए राय भेजी जाय ।

श्री भैरूंसिंह—क्या आश्वासन देकर भी हाईकोर्ट की राय ले ली गई है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर !

श्री कपिलदेव—कब तक यह बात तय नहीं होगी ?

श्री रामकिशोर व्यास (न्याय मंत्री)—जब तक चीफ जस्टिस इस पर फैसला नहीं दे देंगे तब तक ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८०

श्री एच. के. व्यास—Will the **Minister-in-Charge for Medical and Public Health Department** be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that orders for reduction of diet given to patients in Government Hospitals have been recently issued ?

(*b*) Is it a fact that Government servants (employees of the Rajasthan Government) in case they or their relatives or in-door patients in the

Page No.27

[श्री एच. के. व्यास]

Hospitals are required to pay for the diet if their pay is more than Rs. 100/- per month ?

(c) When were such orders issued ?

(d) Is the Government aware that those who are not Government servants, irrespective of their pay or earning are not subjected to the above rule ?

(e) Is the Government in a position to state why Government servants have been singled out for this hardship ?

श्री रामकिशोर व्यास (स्वास्थ्य मंत्री)–(ए) नहीं ।

(बी) नहीं ।

(सी) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(डी) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ई) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(हंसी)

I may make further supplementary statement to clear the position.

डिप्टी रीजनल फूड जयपुर के पत्र संख्या ए १०–जी।५० दिनांक १२. १. ५० के अनुसार राशन प्रति दिन १२ औंस था। किन्तु कहीं कुछ कम और ज्यादा होने की वजह से एकता लाने के लिये इस विभाग के आग्रह पर प्रति सदस्य १२ औंस के बजाय १६ औंस सरकार द्वारा कर दिया गया है। और अब प्रतिदिन प्रति रोगी को १६ औंस मिलता है । किराये के कमरों में रहने वाले रोगी अपनी स्थिति के अनुसार अपने भोजन का स्वयम् प्रवन्ध करते हैं । जो रोगी जनरल वार्ड्स् में रहते हैं और जो चिकित्सालयों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें भोजन मुफ्त में दिया जाता है चाहे वे किसी स्तर के क्यों न हों । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कर्मचारी यदि होस्पिटल में भर्ती हों और उन्हें भोजन दिया जाय तो उनसे खर्चा लिया जाता है और उनको अपने अपने विभागों द्वारा प्राप्त होगा यदि सौ रुपये से अधिक होंगे तो ।

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८१ (४० इ. एम.)

श्री तनसिंह–क्या शिक्षा मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

१. बाढ़मेर से प्रौढ़ शिक्षा योजना के अन्तर्गत कितना रुपया एकत्रित किया गया था ?

२. उसमें से कितना रुपया बाढ़मेर के लिऐ खर्च किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)–१. बाढ़मेर से प्रौढ शिक्षा योजना के अन्तर्गत २५६६) रु० एकत्रित किया गया है ।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

बाढ़मेर के लिये इसमें से २२५) रु० खर्च किया जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रुपया कब इकट्ठा किया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—ठीक तारीख तो मुझे मालूम नहीं है। मेरे खयाल से यह दो साल पहले रुपया इकट्ठा किया गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या दो साल में प्रौढ़ शिक्षा के लिए २२५) रुपया ही खर्च हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—रुपया तो इकट्ठा पहले ही कर लिया गया था किन्तु इस को खर्च करने के लिए बाद में तय किया गया है।

श्री भैरूंसिंह—इन रुपयों को इकट्ठा करने में सरकार को कितने रुपये खर्च करने पड़े हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—यह रुपया तो बच्चों ने इकट्ठा किया है और सरकार को इसमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। खर्च करने के लिये क्या खर्च करना पड़ा।

श्री हिम्मतसिंह—इन रुपयों को इकट्ठा करने में लड़कों और सरकार के हाथमें कितने कितने आये ? बच्चों ने कितने रुपयों की मिठाई खाई ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—आपको लडकों को तो ईमानदार समझना चाहिये। लडकों ने तो इन रुपयों के इकट्ठा करने में कोई मिठाई नहीं खाई है।

श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए अगर पब्लिक से रुपया इकट्ठा किया गया तो सरकार ने भी कोई उसमें मदद दी होगी ? अगर मदद दी, तो कितनी ?

श्री नाथूराम मिर्धा—सरकार तो मदद देती ही है।

श्री भोपालसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रौढ शिक्षा बाद में दी गई या रुपया पहले या बाद में इकट्ठा किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—प्रौढ़ शिक्षा पर तो सरकार पहले ही से खर्च कर रही है।

श्री जसवन्तसिंह—बाढ़मेर में सरकार ने प्रौढशिक्षा के लिये मिली हुई रकम में से कितना खर्च किया है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—करीब तीन लाख रुपया खर्च किया गया है।

श्री जसवन्तसिंह—मैंने यह पूछा था कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए मिली हुई रकम में से बाढ़मेर के लिये कितना खर्च किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)–यह एक अलग प्रश्न है।

श्री जसवन्तसिंह–मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि सरकार को प्रौढ़ शिक्षा के लिये दो हजार रुपयों के करीब प्राप्त हुए, तो उनमें से वहां पर उस शिक्षा के लिए कितना खर्च किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)–मैं आपको यह बता चुका हूं कि यह एक अलग प्रश्न है।

श्री मानसिंह महार (जमुवा रामगढ)–यह २२५) रुपये किस चीज में खर्च हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा–इसकी विगत क्या क्या है, इसके आंकड़े इस समय मौजूद नहीं है।

श्री मानसिंह महार (जमुवा रामगढ)–क्या यह समझा जावे कि इन रुपयों में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा–ऐसा अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिये।

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर, ऑर्डर !

(विराम)

श्री अध्यक्ष–I have to inform the House that the Prime Minister of India has communicated his thanks to our message of condolence on the said demise of Shri N. Gopalaswamy Ayyangar.

(विराम)

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मुझे सदन को सूचित करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने नीचे लिखी अवधिकाल के लिए विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :-

श्री हरीराम निमावा (विभाजन संख्या ५५)–६ फरवरी से २६ फरवरी तक

श्री बृजेन्द्रपालसिंह (विभाजन संख्या २३)–२१ फरवरी से २७ फरवरी तक

राजा श्री मानसिंह—१६ फरवरी से २२ फरवरी तक

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें सदन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा दी जावे।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष–आज्ञा प्रदान की जाती है।

सदस्यों को वेतन व भत्ता देने की प्रक्रिया

श्री जसवन्तसिंह–Sir, Have I your permission to make a request to the Chief Minister in regard to certain inconveniences of the members of the Sanyukta Dal and of the members of the Opposite side also ?

श्री अध्यक्ष–Yes, but you will not make a speech.

श्री जसवन्तसिंह–Just two minutes.

(विराम)

माननीय अध्यक्ष, आम तौर पर यह देखने को आया है और संयुक्त दल के माननीय सदस्यों की तरफ से मुझे यह कई दफा कहा गया है और इन्फार्मली मिनिस्टर साहबों से व अध्यक्षजी से भी और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी से भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी मैं जो इन्फॉर्मली कई दफा कह चुका हूं कि भत्ता व टी. ए. आदि देने का जो रोका है वह संयुक्त दल के मेम्बरों के लिए बहुत असुविधा जनक है।

श्री अध्यक्ष–But such things can be discussed out of this House.

श्री जसवन्तसिंह–I have tried to discuss....

श्री अध्यक्ष–You should come to me.

श्री जसवन्तसिंह–That I have done, Sir. It was, therefore that I wanted to bind down the Hon'ble Chief Minister.

श्री अध्यक्ष–I thought it was a very grave affair....

श्री जसवन्तसिंह–And it will not be done even now.

श्री अध्यक्ष–You must have *some* confidence, *some* confidence.

श्री जसवन्तसिंह–I have the confidence.

श्री अध्यक्ष–I am sorry the matter was not brought to me before; except that you talked once informally with me.

राजस्थान अभ्यस्त अपराधी विधेयक, १९५२

Now *Legislative business, Bills for consideration.*

(विराम)

We have considered upto Clause 4 of the Rajasthan Habitual Offenders Bill. We proceed to consider Clause 5.

(विराम)

So the motion is that Clause 5 be taken into consideration. Now I have got three amendments, two amendments by Shri Himmat Singh and one by Shri H.K., Vyas. Shri Himmat Singh will express himself.

श्री हिम्मतसिंह–Sir, I have already spoken.

श्री अध्यक्ष–I see, these two have been negatived. Then Shri H.K. Vyas will move.

श्री एच. के. व्यास–I want to raise another matter before I say something.

(विराम)

Have I your permission, Sir?

श्री अध्यक्ष–No.

श्री एच. के. व्यास–Then I proceed to move my amendment.

My amendment is with regard to Clause 5 which runs as under :—

"Delete the whole of part (*a*) of the clause and add the words and figures of part (*b*) at the end of the first part after deleting the figure '(*b*)' occurring in the beginning".

माननीय अध्यक्ष—इस क्लाज का जो पार्ट "ए" है उसका ताल्लुक इस बात से है कि सरकार ऐसी आज्ञा प्रदान कर सकती है जिससे किसी भी व्यक्ति को, जिनको हेबिच्युअल ऑफेंडर्स घोषित कर दिया गया है, कहा जा सके कि वे किसी सेन्टर पर आकर रिपोर्ट करें।

जहां तक इस पार्ट का तात्पर्य है मेरा ख्याल है कि उसका तात्पर्य कहीं पुलिस स्टेशन में अथवा और किसी जगह रोज सवेरे या शाम हाजरी देने का हुक्म निकालने से है। मेरे कुछ मित्रों ने कल इस बिल पर बोलते समय यह कहा था और माननीय गृह मन्त्री ने भी कहा था कि हम किसी विशेष समुदाय के लोगों के लिए कोई बन्धन रखना नहीं चाहते। लेकिन जिस ढंग से यह बिल बनाया गया है उसका अर्थ वही होगा कि जो पुराने कायदे से आजतक होता आया है, वही अब भी होगा और इसके संबन्ध में और ज्यादा न कहते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जब एक मेरे माननीय मित्र बोल रहे थे, इसके समर्थन में, तो वे कह रहे थे कि जिन लोगों की आदतें बिगड गई हैं और जो लोग पीढ़ियों से चोरी करते आये हैं या और कुछ ऐसी बातें करते आये हैं उनके लिए कुछ न कुछ बंधन होना चाहिए। यदि कोई पीढ़ियों से काम करता आया है तो उनके लिये अगर बन्धन के तात्पर्य की कोई बात करता है तो इसके साथ साथ कल्पना उसी ओर जावेगी जिसमें पुराने जमाने के ऑर्डिनेन्स इस सिलसिले में आया किये हुए थे।

इसलिये मेरा यह कहना है कि आप देख भाल रखें और आप इस बात का ख्याल रखने की कोशिश करें कि कोई आदमी जुर्म कर रहा है या नहीं। लेकिन अगर अपने धन्धे काम-काज को छोड़ कर इस तरह से रोज-रोज हाजिरी देने का बन्धन वाला क्लाज या इसी प्रकार का जलील करने वाला या रोज-रोज बुलाकर मजबूरन रिपोर्ट दर्ज कराने वाला क्लाज है तो वह छोटे छोटे पुलिस के अधिकारियों के हाथ में एक बहुत ही खतरनाक चीज हो जावेगी; लोगों को तंग करने के लिए और मेरे ख्याल में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

[श्री एच. के. व्यास]

दूसरे हिस्से में जो अधिकार दिये गये हैं वहां यह बताया गया है कि वह अपने रहने के स्थान की इत्तला करें और रहने का स्थान बदलता है तो बदलन की इत्तिला करें और अगर जिस जगह रहता है, वहां से जावे या जाने का इरादा है तो इसकी भी इत्तला करें । तो मेरा ख्याल है कि इससे बन्धन काफी हैं । पर रोज रोज हाजरी देने का जो यह बन्धन है वह नहीं डाला जाना चाहिये । इसलिए एमेन्डमेंट रखा है कि पार्ट "ए" को हटा दिया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ में यह अमेन्डमेंट हाउस के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामकिशोर व्यास–अध्यक्ष महोदय, मेम्बर इन्चार्ज बिल अनुपस्थित हैं; इसलिये मैं उनकी तरफ सेबहस का जवाब देना चाहता हूं । इस वक्त क्लाज पांच पर जो संशोधन पेश किये गये हैं उनमें से पहले में यह कहा गया है कि इसके 'ए' और 'बी' क्लाज को कम कर दिया जाय और दूसरे संशोधन का सारांश यह है कि "Report himself at fixed intervals" को कम कर दिया जाय । गवर्नमेन्ट दोनो संशोधनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं । पहले वाले संशोधन पर काफी डिसकशन होगया है ; इसलिये उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं ।

दूसरे संशोधन के बारे में, जो मि. व्यास का है निवेदन करना है कि उनको यह ख्याल है कि हर रोज ऐसी एटेंडेन्स ली जायगी । वास्तव में उसमें ऐसा नहीं; है उस क्लाज के "ए" पार्ट के यह शब्द "Report himself at fixed intervals" हैं कि जिसका तात्पर्य यह है कि हाजरी देना रोजमर्रा जरूरी नहीं है ।

दूसरा निवेदन यह है कि अगर आप क्लाज ५ को पढेंगे तो आपको मालूम होगा कि सरकार को ऐसी पॉवर देना जरुरी है कि वह व्यक्ति अपने आने की इत्तला दे ; ऐसे अधिकार देने में काफी एहतियात बरती गई है । डिपार्टमेन्टल आर्डर के जरिये यह कार्य नहीं हुआ करते इसके लिए गजट में शाया करना पड़ता है । राजस्थान सरकार ने इस विषय में काफी अहतियात बरती हैं । सरकार को यह करना पड़ेगा कि जो हैबिच्युअल ऑफेन्डर हैं उनको गजट में नोटीफाई करना पडेगा । इसलिये इस क्लाज के हिस्से को हटाना मनासिब नहीं, इसे सरकार मन्जूर नहीं कर सकती ।

श्री अध्यक्ष–Now I put the amendment to vote. The question is that amendment No. 289 to Clause 5 of Shri H.K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The Question is that Clause 5 of the Bill stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

Clause 5 is added to the Bill.

(विराम)

खण्ड ६

The motion is that Clause 6 be taken into consideration.

(विराम)

Shri Himmat Singh will move his amendment.

श्री जे. एन. व्यास–He is not on his seat, Sir, so it will not be considered as moved.

श्री हिम्मतसिंह–(arrives in the Chamber). Sorry.

श्री अध्यक्ष–I will request the Hon'ble Members who have to move amendments to be present when the amendments are called, otherwise they will lose their right and the amendments will be taken as not moved.

श्री हिम्मतसिंह–अध्यक्ष महोदय, क्लाज ६ के बारे म मेरा सुझाव इस प्रकार है:–

"In sub-clause (1), in line third, the words 'or any class of habitual offenders' and in line seventh, the words 'or class of offenders' be deleted".

जैसा कि मैंने क्लाज ५ के बहस के दौरान म निवेदन किया था वही इस पर भी मेरा निवेदन है। इसमें भी क्लास का सवाल है। फिर वही क्लासेज चलती रहेंगी इसलिये यह "क्लास" शब्द ड्रॉप करना चाहिये। क्लासिफिकेशन करने से क्या फायदा होगा, यह मालूम नहीं होता। उधर के कोई सुनने को तैयार नहीं इसलिये मुझको बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं। मैंने अपना एमेन्डमेंट एक सुझाव के तौर पर रख दिया है।

एक सदस्य–Mr. Speaker, Sir, I rise to second this amendment.

श्री अध्यक्ष–No. It is not necessary that the amendment should be seconded.

श्री जसवन्तसिंह–Do I take it, Sir, that over this amendment others cannot speak?

श्री अध्यक्ष–The report has come from the Select Committee. It has been circulated amongst the Members and the Members who want to take part in these discussions can move their suggestions. If they want to oppose the Bill or any section of the Bill, they can do so. If they want a deletion of a particular clause, they can move an amendment for deletion. In that very way, they are entitled to take part in the discussions; otherwise if I allow one Member to move his amendment, then second Member to second his amendment, then third

Page No.34

[श्री अध्यक्ष]

Member and then fourth, there will be no end to these discussions. We are here only to discuss the Bill clause by clause and I am prepared to give every opportunity to the Hon'ble Members but only to the extent as is desired by the rules.

श्री जसवन्तसिंह–But is it, Sir...........

श्री अध्यक्ष–Order !

(श्री जसवन्तसिंह पुनः बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष–Order. I do not want to hear.

(श्री जसवन्तसिंह, विरोधी दल के नेता, ने अपने दल के सदस्यों को सदन से बाहर जाने को कहा और उस दल के सदस्य सदन के बाहर चले गये)

श्री अध्यक्ष–The Question is that the amendment be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

Now the Question is that clause 6 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

श्री गोपीलाल यादव (विरोधी दल के एक सदस्य)....माननीय अध्यक्ष.

श्री अध्यक्ष–Order !

(श्री गोपीलाल यादव पुनः बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष–Order !

श्री गोपीलाल यादव–Then I am going. नमस्ते ।

(श्री गोपीलाल यादव सदन छोड़कर बाहर चले गये)

श्री अध्यक्ष– The clause is added to the Bill.

(विराम)

There are no further amendments, to clauses 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, and 15.

(श्री गोपीलाल यादव सदन में पुनः आ गए और बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—You please wait. I will just allow you to speak.

(पूछताछ)

I was under the impression that there was only one amendment to Clause 6. But the papers placed before me rather misguided me. Now I am being told that there are several other amendments to Clause 6. We can re-open with the leave of the House.

(विराम)

क्या सदन की स्वीकृति है कि क्लाज ६ पुनः विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

So Mr. Yadav. I will allow Mr. Yadav who is present on the floor of the House to speak.

(विराम)

Will you like to move it ?

श्री अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस हाउस की कार्यवाही ५ मिनट के लिए स्थगित कर दी जाय क्योंकि ऑपोजिशन के जो मेम्बर्स हैं वे चेयर के अन्दर नोकॉन्फीडेन्स मोशन ला रहे हैं, और वह ५ मिनट के अन्दर आने वाले हैं । ५ मिनटों के पश्चात् वे भाग लेने वाले हैं । यह इम्पॉर्टेण्ट क्लाज अगर पास हो जावेगा तो आगे दिक्कत हो जावेगी । आप सदन की कार्यवाही ५ मिनट के लिये स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—Do you like to take part in the discussion or not ?

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—(विरोधी दल के एक सदस्य)--श्री यादव द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं । I request the Chair.............

श्री अध्यक्ष—Order. Then we take Clause 6 of these amendments portions. As the movers are not in the House they are dropped.

राजस्थान अभ्यस्त अपराधी विधेयक, १९५२

खण्ड ७

We come to Clause 7. The motion is that clause 7 be taken into consideration. There is a motion from Shri Khet Singh and Shri Himmat Singh that

[श्री अध्यक्ष]
s numbered as 9. They are not present. Then Shri Himmat Singh and Shri Haridutta. None of these members are present. What have you to say about these ?

(राज-पक्ष को संकेत करते हुए)

What do you say about it

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मंत्री)–I do not accept the amendments.

श्री अध्यक्ष–So the Question is that clause 7 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

clause 7 is added to the Bill.

खण्ड ८

श्री अध्यक्ष–The motion is that clause 8 be taken into consideration (विराम) Shri H. K. Vyas to move amendment No. 31. As he is not present, so the amendment is dropped.

(विराम)

So the question is that clause 8 stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clause 8 is added to the bill.

Clause 9

Now the motion is that clause 9 be taken into consideration. (विराम) Shri H. K. Vyas to move amendment No. 32. (विराम) He is not present, so the amendment is dropped. (विराम) Then amendment No. 33 to be moved by Shri H. K. Vyas. (विराम) He is absent and so amendment No. 33 be dropped. (विराम) Shri Himmat Singh to move amendment No. 12.

(विराम)

As he is not present, so the amendment No. 12 is dropped. (विराम) Now the question is that clause 9 stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Page No.37

[श्री अध्यक्ष]

Clause 9 is added to the Bill.

खण्ड १०

The motion is that clause 10 be taken into consideration. (विराम) There are several amendments to this clause. The first is by Shri H.K. Vyas which is amendment No. 34. (विराम) He is not present so the amendment is dropped. (विराम) The second amendment is by Shri Himmat Singh Division No. 61. (विराम) He is absent so the amendment is dropped. (विराम) The third amendment is by Shri Gopilal Yadav whose amendment is No. 44. (विराम) He is not present so the amendment is dropped. (विराम) So all these amendments being dropped, I put the question regarding clause No. 10. (विराम) The question is that clause 10 stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clause 10 is added to the bill.

खण्ड ११

The motion is that clause 11 be taken into consideration. There is only one amendment to be moved by Shri Gopilal Yadav which is amendment No. 45. (विराम) Shri Yadav being absent the amendment is dropped. (विराम) The question is that clause 11 stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clause 11 is added to the bill.

खण्ड १२

The motion is that clause 12 be taken into consideration. There are two amendments by Shri Himmat Singh (61), and Shri Bhairon Singh. (विराम) Shri Himmat Singh is not present; so the amendment is dropped. (विराम) Amendment No. 40. to this clause is by Shri Bhairon Singh. Shri Bhairon Singh is also not present, so the amendment is dropped. (विराम) Now the question is that clause 12 stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clause 12 is added to the bill,

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड १३

The motion is that clause 13 be taken into consideration. There are two amendments to clause 13. The first amendment No. 35 is to be moved by Shri Bhairon Singh. (विराम) He is not present, so the amendment is dropped. (विराम) Next amendment is by Shri Bhairon Singh. (विराम) Shri Bhairon Singh is not present, so the amendment is dropped. (विराम) Now the question is that clause 13 stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clause 13 is added to the bill.

खण्ड १४

The motion is that clause 14 be taken into consideration. (विराम) There are some amendments to the clause and first one is by Shri Himmat Singh. (विराम) Shree Himmat Singh is not present, so the amendment is dropped.

(विराम)

There is another amendment to the same clause which is No. 36 by Shri Bhairon Singh. (विराम) Shri Bhairon Singh is not present, so the amendment is dropped.

(विराम)

There is yet another amendment to the same clause by Shri Haridutta which is amendment No. 48. (विराम) Shri Haridutta is not present, so the amendment is dropped.

(विराम)

There is one more amendment by Shri H. K. Vyas who has moved another amendment to add 14(*a*) after clause 14. (विराम) Shri H. K. Vyas is not present, so the amendment is dropped.

(विराम)

Now the question is clause 14 stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clause 14 is added to the bill.

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड १५

The motion is that clause 15 be taken into consideration. (विराम) There are no amendments to clause 15. So the question is that clause 15 stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clause 15 is added to the bill.

परिशिष्ट

The motion is that the Schedule be taken into consideration, which contains Chapters 12th, 16th and 17th.

एक सदस्य-Now before we take this chapter 12th into consideration I like to draw attention, Sir, to something said by the mover of the bill-our law Minister. He said yesterday that he will remove offences relating to coins from the Schedule. Whether it is there or not.

श्री रामकिशोर व्यास-Originally as provided in the schedule; I propose to pass that schedule.

श्री अध्यक्ष-Are you not going to accept any amendment ?

श्री जयनारायण व्यास-Amendment is not moved. How can we accept ?

श्री अध्यक्ष-There is an amendment by Shri Bhairon Singh. As he is not present, so the amendment is dropped. There is another amend ment No. 49 to the Schedule moved by Shri Haridutta. As Shri Haridatt is not present, so the amendment is dropped. There is another amendmena No. 50 to be moved by Shri Gopilal Yadav. As Shri Yadav is not present, so the amendment is dropped. There is another amendment No. 51 to be moved by Shri Haridutta. As Shri Haridutta is not persent, so the amendment is dropped. There is another amendment to be moved by Shri Gopilal Yadav—amendment No. 52. As he is not present, so the amendment is dropped.

So now the question is that the Schedule stand part of the bill.

(स्वीकृत)

The schedule is added to the bill.

(विराम)

Now the motion is that clause 1, title and the enacting formula be taken into consideration.

(विराम)

Page No.40

[श्री अध्यक्ष]

There is one amendment on this clause by Shri Vedpal Tyagi.

(विराम)

श्री वेदपाल त्यागी–अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज वन में क्लाज ४ जोड़ने का मेरा अमेंडमेंट है, जो इस प्रकार है:–

"After sub-clause (3) of clause 1 new sub-clause (4) be" added as hereunder.

'(4) It shall remain in force for five years'.

वह मैंने इस उद्देश्य से रखा है कि कोई भी सभ्य समाज इस तरह के बिल को कानून बनाकर प्रसन्न नहीं हो सकता। जिस उद्देश्य से यह बिल बनाया है वह हमारे सामने है। इस पर माननीय होम मिनिस्टर ने प्रकाश डाला है। हमारा उद्देश्य उन जातियों को जो आदतन जुर्म करने की हैबिच्युअल होगई हैं, उनको ठीक करने का, उनको सुधारने का है। अगर इस बिल की अवधि नहीं लगाई कि कब तक यह कानून लागू रहेगा तो सरकार पर दबाव नहीं रहेगा कि जिनको ठीक करने के लिए यह बिल बनाया जा रहा है उनको ठीक कर सके। लिहाजा इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है कि इस बिल के लागू रहने की अवधि ५ वर्ष तक की रहे। आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी।

एक सदस्य (ट्रेजरी बेंचेज से)–जहां तक माननीय सदस्य का यह अमेंडमेंट है, माननीय अध्यक्ष, मैं इस बिल के शिड्यूल के चेप्टर १६ की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। उसमें क्राइम्स की जो सेक्शन्स दी गई हैं उनमें ऐसे भी क्राइम्स हैं जो कम्पाउन्डेबल हैं; पार्टीज कम्पाउन्ड कर सकती हैं। उन क्राइम्स के करने वाले को भी हैबिच्युअल ओफेन्डर करार दिया जा रहा है। अतः माननीय सदस्य ने जो इस बिल को ५ वर्ष तक ही लागू रखने का अमेंडमेंट रखा है वह ५ वर्ष की अवधि बिल्कुल ठीक है; मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री जयनारायण व्यास–अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की तरफ से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ५ वर्ष तो क्या हम इस बिल को २ वर्ष भी लागू नहीं रखेंगे; अगर क्राइम्स की स्थिति सुधर जाय और हैबिच्युअल ओफेन्डर्स इस तरह की कार्यवाहियां न करें। इसलिए मैं मेरे मित्र से अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस अमेंडमेंट को वापस ले लें।

श्री वेदपाल त्यागी–इस आश्वासन के आधार पर मैं इस अमेंडमेंट को विदड्रा करने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष–So the question is that clause, title and the enacting formula stand part of the bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, the title and the enacting formula are added to the bill.

श्री जसवन्तसिंह–On a point of order, Sir. A certain serious thing has happened in this house. The Speaker has completely lost our confidence. We have just now moved a vote of No Confidence. So the work be suspended and I should be allowed to move against the Speaker a vote of No Confidence. This House has completely lost faith in him.

श्री जयनारायण व्यास–I am very much astonished that my friend, the leader of the opposition, has requested the chair to postpone consideration on other matters and to allow him to table a vote of No Confidence. He can put a No Confidence Motion at any time but cannot discuss it now and here.

श्री जसवन्तसिंह–I have given notice.

श्री जयनारायण व्यास–Any member can give notice of any resolution there is no harm. But if the proceedings are to be stopped, it is not reasonable. I am in possession of the House. I draw attention to Article 179 of the Constitution of India which lays down :—

"A member holding office as Speaker or Dy. Speaker of an Assembly—

(*a*) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;

(*b*) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Dy. Speaker, and if such member is the Dy. Speaker, to the Speaker, resign his office, and

(*c*) may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly :

Provided that no resolution for the purpose of clause (*c*) shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution :

Provided further that, whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution."

Sir, my friend is very well conversant with the clauses of the Constitution and he can claim to move a resolution only after he has tabled the resolution and after 2 weeks or 14 days have passed thereafter. I would request you, Sir, to disallow the Hon'ble member to speak on this subject because it is against the definite provisions of the Constitution.

श्री जसवन्तसिंह–My Hon'ble friend has given us a lecture. We have heard this with great interest. He need not take so much trouble.

This is a provision which probably every Hon'ble member knows. But, however, we are grateful to him for giving us an instructive lecture. I have just now given notice and since we have lost confidence in the Speaker, my request is that it is very hard to work with the present Speaker occupying the chair. He should vacate and give us time when we can discuss—when we can show how we have been treated in this House. Apart from the merits of the case when the day is fixed, I would request that with the present Speaker we find it difficult to carry on because our rights have been enchroached on every occasion.

श्री गोपीलाल यादव––माननीय अध्यक्ष, मेरे काबिल मित्र श्री व्यासजी ने जो चीज बतलाई है उससे मैं सहमत हूं और नोटिस के १४ दिन के मुताबिक यह नोटिस दिया गया है और १४ दिन के बाद ही डिस्कस होगा । लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट के खिलाफ नो कोन्फिडेन्स का मोशन आया था और हाउस की कार्यवाही स्थगित हुई थी उसी तरह इस बार यह होना चाहिये कि आप काम न करें । हमेशा ऐसे कन्वेन्शन्स बनाना जरूरी होता है । जिस वक्त आप यहां काम कर रहे हैं और उस वक्त हाउस का कोन्फिड़ेन्स चेयर में नहीं है तो आपको काम नहीं करना चाहिये ।

(एक तरफ से आवाज आई "कोन्फिडेन्स है")

श्री अध्यक्ष––जो नो कोन्फिडेन्स मोशन मेरे लायक दोस्त ने टेबिल किया है he has every right to table it.

श्री जयनारायण व्यास—Has he tabled it ?

श्री अध्यक्ष—लेकिन प्रश्न यह है कि यह नो कोन्फिड़ेन्स मोशन कब डिसकस किया जाय ? क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि यह तुरन्त ही डिस्कस किया जाय ?

श्री जसवन्तसिंह––यह नहीं चाहते ।

श्री अध्यक्ष––अब सवाल यह आता है कि सदन की कार्यवाही स्थगित करदी जाय या नहीं ? मैं समझता हूं कि वे विधान और रूल्स ऑफ बिजनेस की कोई धारा नहीं बतला सकेंगे और यदि बतलाना चाहें तो मैं उन्हें एक मिनिट का समय देता हूं । मैं प्रार्थना करता हूं कि बहुत धैर्य और शान्ति के साथ विचार व्यक्त करें । उन्हें अविश्वास पर डिस्कशन का पूरा मौका मिलेगा और उनको थ्रेड-बेअर, हर प्रकार से मौका मिलेगा । अविश्वास के प्रस्ताव पर जो कुछ कहना है वह इस समय न कहें । इस समय तो वे यह कहें कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकते हैं या नहीं और मुझको अधिकार है या नहीं ? मैं और बतला देना चाहता हूं कि इसको अन्तिम रूप नहीं माना जाय । आपकी जो राय

Page No.43

[श्री अध्यक्ष]

होगी उसके बारे में अन्तिम निर्णय सदन के हाथ में है । सदन की मर्जी के बिना सदन की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, इस संबंध में मुझे सिर्फ यह कहना है कि जो हमारा विधान एसेम्बली के लिये है वह हर एक रेस्पेक्ट में कंपलीट नहीं है ; इसलिये हाउस का, आपका और हमारा सबका यह काम है कि गुड कन्वेन्शन्स डेमोक्रेसी के बनावें और जिस वक्त चेयर के खिलाफ नो कोन्फिडेन्स मोशन आ गया तो उनको काम बन्द करना पड़ेगा। यदि उनके द्वारा चलेगा तो इस तरह से चलेगा जैसा कि अभी चला । आधा घन्टे में बिल पास हो गया । इससे जनता का नुकसान हुआ । स्पीकर महोदय, नो-कोन्फिडेन्स पर विचार करने के बाद, काम करें ।

(सदन में ध्वनियें-"नो-नो")

श्री जयनारायण व्यास—नो कोन्फिडेन्स मोशन पर हाउस की क्या राय होगी, क्या रुख और रवैया होगा वह तब देखा जायगा जब डिस्कशन होगा । अभी फालतू की बातों के डिस्कशन में पब्लिक का मनी खर्च होता है, समय खर्च होता है । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह मोशन जिस वक्त मैच्योर हो उस वक्त अवश्य ध्यान दिया जायगा. अभी इस पर बहस बन्द की जानी चाहिये । दूसरी बात यह है कि हमारे लायक दोस्त यह जानते हैं कि हम एक कांस्टिट्यूशन के नीचे काम करते हैं जिसे कांस्टीट्यशन ओफ इन्डिया कहते हैं और कोई काम हमारा इस कांस्टिट्यूशन की धाराओं के खिलाफ नहीं हो सकता । इसलिये इस सुझाव को ना मंजूर फरमा दें, यह मेरी प्रार्थना है ।

श्री हिम्मतसिंह—मैं अर्ज करना चाहता हूं कि . . . . . .

श्री जयनारायण व्यास—मैंने अर्ज किया था कि इस बहस को बंद किया जाय किसी ने यह नहीं बतलाया कि कौनसी धारा के अंतर्गत काम बन्द किया जाय ।

श्री हिम्मतसिंह—मैं धारा बतलाता हूं, थोडा सुन तो लीजिये । मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि कौंस्टीट्यूशन में कोई प्रोवीजन नहीं है कि यदि नो कान्फीडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ आ जाय तो काम स्थगित करदें या नहीं। ऐसा कोई कानून देखने में नहीं आया है । ऐसी हालत में इसके लिये कन्वेन्शन्स लेने पड़ेंगे और कन्वेन्शन के लिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह रामराज्य है और रामराज्य में किसी मामूली आदमी ने भी एक बात पैदा करदी तो......

श्री अध्यक्ष—Every body knows it.

श्री हिम्मतसिंह—इससे बढ़कर और क्या कन्वेन्शन हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि इस सदन का मुझमें विश्वास है या नहीं ?

(ध्वनियें-"हॉं-हां")

श्री जयनारायण व्यास—मैंने पहले प्रार्थना की थी कि इस विषय पर अभी बहस बंद की जाय।

श्री अध्यक्ष–मैं माननीय सदस्यों को इस उत्तेजनापूर्ण वादविवाद से आगाह करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को व्यक्तिगत बातों से ऊंचा उठा कर सोचें। हम सदन में ऐसी परंपरायें कायम करने जा रहे हैं जो स्वस्थ हों।

कुछ सदस्य–हमको बोलने नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष–So I shall be fixing a date for this motion to be discussed and in the meanwhile जैसा कि माननीय जसवन्तसिंह जी ने कहा तो क्या सदन की कार्यवाही एडजर्न करनी चाहिये ? इसके बारे में यह है कि This House will go on conducting business.

श्री जसवन्तसिंह–मैंने दूसरी बात कही थी--कन्वेन्शन के बारे में।

मैंने यह कहा था कि हम अच्छी कन्वेन्शन डालें। यह कन्वेशन एक पक्ष (सरकारी पक्ष) का क्यों स्वीकार करने को कहा जा रहा है जब कि दूसरा पक्ष (विपक्ष) इससे सहमत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमारे हाउस के आधे सदस्यों का एक व्यक्ति की तरफ विश्वास नहीं रहा है और हम कन्वेन्शन के लिये सुझाव दे रहे हैं तो स्पीकर के लिये यह बहतर होगा कि वे अपने आप अपने स्थान को छोड़दें।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–The House has every confidence in the Speaker.

श्री अध्यक्ष–Order? I would invite your attention that I have no attraction to stick to this chair. The Hon'ble Members should take this for certain that I am here only when I have confidence of the House but to force a desire on personal prejudices will be a great injustice to me. I will invite attention of the House to Article 181 of the Constitution that the Speaker will not occupy the chair only when a no confidence motion is discussed against him and in all other cases he is there.

That our day to day business is regulated by the rules of business framed by the Committee of this house and I assure the Hon'ble Members that I will give every opportunity to discuss matters but at the same time I will request you to rise above personal prejudices and not to misuse the leniency I have given to the Hon'ble Members. I have seen the Hon'ble Members misusing the leniency that I give to them and there have been occasions more than once that they have regarded in very rather undignified way the decisions of the chair. That I do not expect from any member of this House and I will request every member of the House to maintain this dignity of the House so often preached and advocated amongst themselves.

श्री कानसिंह–May I have your permission............

श्री अध्यक्ष–Order?

राजस्थान अभ्यस्त अपराधो विधेयक, १६५२

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–Sir, The whole bill has not been passed. We have gone only upto preamble.

श्री अध्यक्ष–I put the Question, "that the Rajasthan Habitual Offenders Bill be passed".

श्री गोपीलाल यादव–ऑन ए पोइन्ट ऑफ ओर्डर, सर,

रूल्स के अन्तर्गत एक क्लाज है जो में आपको अभी बता देता हूं। क्लॉज बाइ क्लॉज बिल को पास कर दिये जाने पर भी उस पर बहस के लिऐ एक दिन निश्चित किया जाता है ; अतः मेरा सुझाव है कि इस पर बहस के लिये एक दिन और नियत किया जाय। रूल १४६ इस प्रकार है :–

"*Passing of a Bill:*—When a motion that a bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the bill is made, the member-in-charge may at once move that the bill be passed.

(2) If any amendment of the bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made".

चूंकि इस बिल में अमेन्डमेन्ट्स रखे गये थे और उनमें से बहुत से रखे गये और बहुत से हटा दिये गये ; अतः थर्ड रीडिंग में सम्भव है बहुत से लोग अपने विचार और रखें और क्योंकि थर्ड रीडिंग बिल के लिऐ इसीलिये होती है कि जो काम रह जाय उस पर सोचा जाय, अतः मेरा निवेदन है कि एक दिन का टाइम इसके लिये अवश्य दिया जाय तो कोइ नुक्सान नहीं होगा।

(श्री जयनारायण व्यास, मुख्य मन्त्री, खड़े हुऐ)

श्री अध्यक्ष–Yes, what have you to say?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–मेरा ऐसा ख्याल है कि यदि मेरे लायक मित्र इस सेक्शन के खुलासा को पढ़ लेते तो ठीक होता ; जो इस प्रकार है–

"*Passing of a bill.*—(1) When a motion that a bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the bill is made, the member-in-charge may at once move that the bill be passed."

[श्री जयनारायण व्यास]

इसका अर्थ यह कभी नहीं होता कि जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया गया है उसका बाद में एतराज हो और दूसरा मोशन उसके बारे में नहीं आया है ; क्योंकि :-

"If any amendment of the bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made.

और उसमें भी जो एक बात है वह यह है कि —

"Where the objection prevails, a motion that the bill be passed may be brought forward on any future day".

वह भी उस वक्त ओबजेक्शन रहता जब कि स्पीकर उस बात को स्वीकार कर लें। इसके बाद—

"To such a motion no amendment may be moved which is not either formal, verbal or consequential upon an amendment made after the bill was taken into consideration.

वह ओबजेक्शन जो रेज होता है जब कि स्पीकर इजाजत दें। ऐसी हालत में यह स्पीकर के डिक्लेरेशन पर है। इसके बाद में कोई अमेन्डमेंट नहीं मूव किया जा सकता है। अब जो यह ऑबजेक्शन किया जा रहा है कि बहुत सारे अमेन्डमेंट्स नहीं रखे जा सकते , वह ठीक नहीं है। वे अब नहीं रखे जा सकते हैं। नहीं रखे जा सके थे तो यह कुसूर किसी का नहीं। यह उन्हीं का कुसूर है जिन लोगों ने इनको नहीं रखा। ऐसी हालत में मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि आप इस को रूल आउट करदें ।

श्री मथुरादास माथुर— Mr. Speaker, Sir, a technical objection has been raised by my friend Shri Yadav on the opposite side that the bill could not be passed today and he has drawn attention of the House to the Rule 146 (2). I humbly submit, Sir, that this rule when properly interpreted would mean just the opposite what he wanted to convey to the House. Rule 146 (2) says—'If any amendment of the bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made."

The Bill, I think, was put into consideration not today. The bill was put for consideration yesterday or day before. So according to Clause 2 of this rule when the Bill was taken into consideration on that day, the same day would mean the day on which the bill was taken into consideration. Therefore, it is not this day that it cannot be passed for we have been discussing various amendments for the last two days and now today is not the "same day" on which the bill has been taken into cosideration. The amendments have been discussed and therefore it is not the very day about which

[श्री मथुरादास माथुर]

a reference is found in this rule. I would, therefore, submit, Sir, according to rule 146 (2) that this day is not the day on which any objection be raised and therefore the mover of the Bill can move that this bill be passed today.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am afraid the reading which my friend has made to this rule does not correspond to whatever is contained in this rule 146—procedure for two separate alternatives. They may take place on the same day or different days. What are the different alternatives after that stage when the motion is passed for taking into consideration of the bill ? There should be two—either no amendments have been made or any amendments have been made. Now rule 146 (1) lays down the procedure that if no amendment is made it is permissible for that purpose to make a further motion immediately that a bill be passed. If an amendment of the bill is made then any member may object to any motion being made on the same day that the bill be passed. My friend contends that such objection shall prevail only if the Speaker permits. My submission is that just the contrary is provided. Such objection shall prevail unless the Speaker otherwise directs. Of course if the Sepaker now directs then it is a different matter but if he does not then such objection shall prevail. In part 3 this rule; "where the objection prevails " means that an amendment is raised and there has been a motion that the bill be passed and thereupon there is an objection to the motion and that objection is to prevail—then the motion be brought forward on any future day. Looking all the rules and the arrangement I think the point raised by my friend Mr. Yadav is absolutely correct unless the Speaker otherwise directs. My further submission is that on this occasion the Speaker should not act in favour of the one or the other side. His discretion.................

श्री अध्यक्ष—Order! I want the members to consider the language of rule 146 in the light of the facts which are before the House. The facts are that the bill was moved day-before-yesterday and it is not the matter that no amendments were moved to the Bill. The case would have been different if no amendments were moved to the Bill and the Bill as submitted by the Select Committee had come before the House for consideration and in that case clause (1) of the rule 146 of the Rules of Business would have come into operation. "When a motion that a bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the bill is made, the member-in-charge may at once move that the bill be passed." That would have been the first stage. Now we come to sub-clause (2) :

Page No.48

[श्री अध्यक्ष]

"If any amendment of the bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made."

That the Select Committee report was put in for consideration and after that if consideration stage would have been over and no amendments would have been put in then clause (1) would have come into force. But if amendments are put in then what would have been the procedure? Then we come to clause (3) which says "Where the objection prevails, a motion that the bill be passed may be brought forward on any future day," as in the case in the present stage.

I want to know from the Hon'ble Members of the House--what does these words 'same day' and "such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made" signify. That comes to the discretion of the Speaker. Keeping in view the present circumstances we find that the Select Committee report was not accepted by the House as it was. There were so many amendments to this Select Committee's Report. So many amendments were moved and after those amendments have been moved; two days have passed. It is the third day after the Bill has been moved for consideration. The Hon'ble Members will keep in view the specific wordings of this clause 'same day' and keeping this in view they will rather express their opinion. I want to say nothing unless I hear from the Hon'ble Members in the light of this.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, "सेम डे" कौनसे में शामिल है जिस दिन अमेन्डमेंट आया और स्वीकार कर लिया गया अथवा जिस दिन सेकिंड रीडिंग खतम किया गया। इसका राइट इन्टरप्रीटेशन करना है।

सो अगर आप इससे मतलब लेते हैं कि जिस दिन अमेन्डमेंट पेश कर दिया गया और पास कर दिया गया तब तो ठीक है, आज तो वाक आउट किया और अमेन्डमेंट हुआ था कल। एक दिन खलास हो चुका था। तो आज आप बिल को विचारार्थ पेश कर सकते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है।

मेरे विचार में इसका मतलब यह है कि जिस दिन सेकिंड रीडिंग खतम हो उस दिन बिल को पास करने के लिये न लिया जावे अगर इसमें अमेन्डमेट होगया है। सेकिंड रीडिंग आज खतम हुआ है। अब दूसरा मोशन जो बिल के पास करने का है, यह आज के दिन नहीं आना चाहिये।

इसका यह मतलब बिलकुल नहीं है, कि एक बिल अगर ५ दिन चला और अन्तिम दिन कोइ एमेन्डमेंट नहीं हुआ, अमेन्डमेंट हो गया कल, तो वह बिल आज ही स्वीकृति के लिये विचारार्थ लिया जा सकता है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि अगर अमेन्डमेन्ट कोई स्वीकार हो गया है तो जिस दिन क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन समाप्त हुआ है उस दिन पूरे बिल की स्वीकृति के लिये दूसरा मोशन पेश नहीं

[श्री अध्यक्ष]

होना चाहिये ; बल्कि वह एक दिन बाद आना चाहिये ; यह क्लियर मीनिंग है। मैं समझता हूं कि आप विचार करेंगे ।

श्री हरिदत्त--May I submit, Sir, a few words regarding passing of a bill under Rule 146. Now the motion is moved that the bill be passed and this motion is made to-day, Sir. If any amendment is made, any member may object any motion being made on the same day that the bill be passed. When any amendment of the bill is made any member may object to any motion being made on the same day that the bill be passed.

मोशन आज किया जा रहा है कि बिल पास कर दिया जाय जब कि अमेन्डमेन्ट पर बहस समाप्त हो चुकी है। हमारा यह ऑबजेक्शन है कि आज इस पर डिसक्शन नहीं होना चाहिये। हमें फिर से इस पर विचार करने के लिये १४७ के अन्तर्गत समय दिया जाना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह--अध्यक्ष महोदय, मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि थोड़ी बहुत बुद्धि ईश्वर ने मुझे भी दी है ; मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्ज करना चाहता हूं। यह मानी हुई बात है कि इंगलिश लेंग्वेज एक पोलिटिकल लेंग्वेज है जिसका इन्टरप्रिटेशन चाहे जैसा कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आपका जो इन्टरप्रिटेशन है वह भी सही है और हमारा इन्टरप्रिटेशन भी सही है। डिसीजन अब आपके हाथ में है। आपको ऐसा डिसीशन देना चाहिये जिससे पब्लिक की सहूलियत हो और जुडिशियरी में इस कानून से सहूलियत हो। बस मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, रूल्स ऑफ बिजनेस के नियम १४६ के क्लॉज (२) के बारे में मेरा निवेदन यह है कि इसके वर्डिंग्ज बिल्कुल साफ हैं। लॉ इन्टरप्रेट करने में यदि कठिनाई का अनुभव हो तो कोमन सेन्स का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। यह एक लीगल इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि किसी बिल के सिलसले में अमेन्डमेन्ट दिये जाते हैं तो उन अमेन्डमेन्ट्स के डिसकस होने पर ही निर्णय होता है। उन अमेन्डमेन्ट्स का निर्णय होने तक "सम डे क्वोट (Quote)" किया जाना चाहिये। ऐसी परिस्थिति में क्लॉज सेकन्ड के वर्डिंग्ज का मुलाहिजा कर लिया जाय:—

"If any amendment of the Bill is made, any Member may object to any motion being made on the same day that the Bill be passed."

आज अमेन्डमेन्ट पर अन्तिम निर्णय हुआ है। ऐसी परिस्थिति में, जब कि आज ही अमेन्डमेन्ट पर निर्णय हुआ है, बिल को पास किये जाने के लिये मोशन रखा गया है ; उसको सेम डे ट्रीट किया जाना चाहिये। इसके बाद डिस्क्रीशनरी जो पावर्स हैं वे चेयर को हैं। अगर चेयर जरूरी समझे और बिल को पास करना इम्पोर्टेंट महसूस करते हैं तो Only the speaker can allow the motion to be made on the same day. इजाजत स्पीकर ही दे सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, रूल्स ऑफ बिजनेस इंगलिश में हैं ; इसलिये इसकी भाषा का अब तक पोलिटिकल इन्टरप्रिटेशन किया गया है । मैं इसका लीगल इंटरप्रिटेशन हाउस के सामने रखना चाहता हूं । क्लॉज १४६ के एक और दो भाग का इन्टरप्रिटेशन क्या लेना चाहिये ; यह मैं सदन के सामने रखता हूं । बिल को पास करने में, जैसा कि आप जानते हैं कि पहली स्टेज इसकी होती है, कन्सीडरेशन की । क्लॉज १४६ किस वक्त एप्लाई होता है यह सोचने की बात है ? क्लॉज १४६ (ए) के अनुसार जब यह तय हो जाय कि बिल को कन्सीडरेशन के लिये लिया जाय और उस वक्त कोई अमेन्डमेन्ट बिल पर नहीं है तथा यह मोशन मूव किया जाता है कि इस बिल को पास किया जाय तो वह बिल पास कर दिया जाता है। कोई अमेन्डमेन्ट मूव किया हुआ होता है तो उसके लिये क्लॉज के दूसरे भाग में व्यवस्था है। १४६ का क्लॉज एप्लाई होता है आज के दिन जब कि बिल पर कोई अमेन्डमेन्ट मूव नहीं हुआ है । बिल पर अमेन्डमेन्ट उस दिन आये थे जब कि बिल को कन्सीडरेशन के लिये हाउस के सामने रखा गया था। जिस वक्त आपके सब अमेन्डमेन्ट आये थे उस वक्त ऐतराज किया होता । १४६ के अन्तर्गत इसका अभिप्राय यह कभी नहीं होता कि जब अमेन्डमेन्ट एक्सेप्ट हो चुके और आज पास करने के लिये कहा जा रहा है तो १४६ के अन्तर्गत पास नहीं किया जा सकता । The words are "Amendment is made"; but it was only moved, it was not made. So the interpretation of the opposition does not apply.

(अध्यक्ष पद पर डा० श्री मंगल सिंह आसीन)

श्री जसवन्तसिंह—माननीय चेयरमेन साहब, अभी मेरे माननीय लॉ मिनिस्टर ने धारा १४६ का जो इन्टरप्रिटेशन किया वह उन्होंने अपने ख्याल से किया है; न कि उनका इन्टरप्रिटेशन एक ऑथारिटेटिव इन्टरप्रिटेशन है। उनका ख्याल था कि उनके इन्टरप्रिटेशन को ऑथोरिटी मानकर स्पीकर महोदय अपने निर्णय को उनके इन्टरप्रिटेशन के अनुसार दें

श्री मंगलसिंह चेयरमेन—Keep to your point.

श्री जसवंतसिंह—यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई अमेन्डमेन्ट मूव नहीं किया गया । आज ही एक अमेन्डमेन्ट श्री हरिकृष्ण व्यास ने हाउस के सामने पेश किया था । जब एक अमेन्डमेन्ट हाउस के सामने आ गया तो यह सुझाव हाउस के सामने कैसे आ सकता है कि आज ही इस बिल को पास कर दिया जाय ।

श्री रामकिशोर व्यास—The amendment was moved, not made.

श्री वेदपाल त्यागी—श्री चेयरमेन साहब, जहां तक रूल १४६ के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है यह सवाल बड़ा इन्टरेस्ट पैदा कर रहा है। मैं यह समझता हूं कि इसको इस दृष्टि से देखना चाहिये कि बिल को पास करने की कितनी स्टेजे होती हैं। अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो "सेम डे" को निकालने में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होगी। जैसा कि श्री एच. के. व्यास ने बतलाया इसमें दो आल्टरनेटिव्ज प्रोवाइडेड हैं। पहला सवाल १४६ के सब-रूल (sub-rule) वन से स्पष्ट है। इसके इन्टरप्रिटेशन में दिक्कत नहीं आती है ।

[श्री वेदपाल त्यागी]

"If any amendment of the bill is made the Member-in-Charge may object to any motion being made on the same day that the bill be passed".

इसलिये मैं कहता हूं कि जिस वक्त बिल की कन्सीडरेशन स्टेज होती है उस वक्त अमेन्डमेन्ट पेश होते हैं और अमेन्डमेन्ट पर डिस्कशन होता है। अतः जब बिल कन्सीडरेशन स्टेज पर आता है उस वक्त के लिये हमें "सेम डे" मानना चाहिये ; यह नहीं कि जिस दिन मेम्बर इन्चार्ज मूव करे उस दिन के लिये "सेम डे" शब्द का इस्तेमाल किया जाय। जब तक कॉन्सीडरेशन चलता रहे उस वक्त तक "सेम डे" रहता है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस दिन कन्सीडरेशन खतम होता है उस दिन यह बिल पास नहीं किया जाय। इसके बाद स्पीकर को अधिकार है कि वे अपना डिसीजन दें।

श्री गोपीलाल यादव—He has supported me.

श्री वेदपाल त्यागी—I have not supported anybody.

यह मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक कानून बनाने का ताल्लुक है हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये, कानून को बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिये। यह मैं एक वकील के नाते, जिसको हमेशा कानून को इन्टरप्रेट करना पड़ता है, कह रहा हूं। लिहाजा ऐसी हालत में हमको "सेम डे" का मतलब उस दिन से नहीं लेना चाहिये जिस दिन कि इस बिल को कन्सीडरेशन स्टेज के लिये मूव किया गया।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—माननीय चेयरमेन, मैंने देखा और हमारी अदम मौजूदगी में बहुत कुछ हुआ ; इस बिल के बारे में। लेकिन शायद इस सदन को मालूम होगा कि एक छोटा सा मिनट ऑफ डिसेन्ट है मेरा ; जिसके लिये शुरूआत में मैंने अर्ज किया था। ....

श्री चेयरमेन (डा० श्री मंगलसिंह)—अभी वह स्टेज नहीं आई। You will be given an opportunity to express your views.

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—(पुनः बोलने को खड़े हुए)

श्री चेयरमेन (डा० श्री मंगलसिंह)—You will be given an opportunity to speak.

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री)—सेक्शन १४६ की क्लॉज (२) के इन्टरप्रिटेशन के बारे में काफी बातें हुई। मैं भी थोड़ा सा सुझाव रखता हूं। इसमें जो डिस्क्रिशन दिया है स्पीकर को, उससे इसका इन्टरप्रिटेशन बिल्कुल साफ होता है। "The same day" का तात्पर्य तो "Same day" ही है ; जिस फर्स्ट डे को बिल कन्सीडरेशन में लिया जाता है और उसी दिन अगर उसमें कुछ ऐसे एमेंडमेन्ट होते हैं जो कि मेटेरियल नहीं हैं, और बहुत थोड़े समय में डिस्पोज ऑफ किये जा सकते हैं, उसी के लिये यह पीछे डिस्क्रिशन रखा है। अमेन्डमेन्ट इतने मेटेरियल नहीं हों तो स्पीकर "सेम डे" भी उस बिल को पास करने की इजाजत दे सकते हैं। परन्तु एमेंडमेंट ऐसे मेटीरियल हों कि उनको एक दिन में डिस्कस करके खतम नहीं किया जा सकता तो जुडिशियल डिस्क्रिशन को एक्सरसाईज करके

Page No.52

[श्री नाथूराम मिर्धा]

स्पीकर कह सकते हैं कि काफी मैटीरियल एमेंडमेंट्स आये हैं इसलिए वह पास नहीं किये जा सकते हैं परन्तु सेम डे का मायना "The same day the bill is taken into consideration." है। और जब इतना समय निकल गया है, बहुत से एमेन्डमेन्ट पूरे डिस्कस करने का मौका मिल गया है तो उस दिन जिस दिन कि बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया था उस दिन बहुत में एमेंडमेंट्स ......

श्री चेयरमेन (डा० श्री मंगलसिंह)--You mean 'the same day'?

श्री नाथूराम मिर्धा--Yes, Sir, and it is the third day. Therefore, mostly all the amendments which were moved have been thoroughly discussed and then the stage of passing of the Bill has come. Therefore sufficient consideration has been given and as such there is no question of exercising the discretion.

महारावल श्री संग्रामसिंह--माननीय सभापति जी, मेरा खयाल है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि कुछ लेंग्वेजेज हमेशा ही एम्बीगुअस होती हैं, और कुछ परपजली एम्बीगुअस रखी जाती हैं। कुछ कोर्टस् के लिये भी रखा जाना चाहिये कि वे इन्टरप्रिटेशन क्या करें। अपने को देखना है कि हाई कोर्टस् ....

श्री चेयरमेन (डा० श्री मंगलसिंह)—But this is to be interpreted by us.

महारावल श्री संग्रामसिंह—इस वक्त तो स्पीकर साहब क्या इन्टरप्रिटेशन देगें, आपको क्या इन्टरप्रिटेशन देना चाहिये इसलिये मैं अर्ज करूंगा। अलग अलग ओपीनियनें दी गईं। आप विचार करिये कि कौनसी राय ठीक रहेगी।

"सेम डे" दोनों ही हो सकते हैं। एक तो यह कि जिस रोज शुरू हुआ कन्सीडरेशन। अगर उसी डे कोई अमेन्डमेन्ट नहीं हो तो उसी रोज वह कहेंगे, 'Although the bill is passed.' अगर अमेन्डमेन्ट उस रोज हो गये तो "सेम डे" क्वेश्चन में ही नहीं आता। वह आयेगें तो दूसरे रोज ही आयेगें। अमेन्डमेन्ट जब किसी में होता है तो मोशन यह नहीं ले सकते हैं कि "The Bill may be passed."

श्री चेयरमेन (डा० श्री मंगलसिंह)—They can be disposed of that very day.

महारावल श्री संग्रामसिंह—वे उस रोज डिस्पोज ऑफ हो जायं तो ठीक है। अगर वे उस रोज डिसपोज ऑफ हो जाते हैं तो यह क्वेश्चन ही नहीं आता है (हँसी) उस रोज "सेम डे" नहीं आ सकता।

श्री चेयरमेन—The House enjoys your interpretation.

Page No.53

महारावल श्री संग्रामसिंह—"सेम डे" उस रोज आ ही नहीं सकता है। वह कान्टिन्जेन्सी हो सकती है। उस रोज इस पर अमेन्डमेन्ट हुए और उस रोज पास हो जाता है तो वह कॉन्टिन्जेन्सी निकल गई। मेरा तो यह ख्याल है कि आज यह नहीं होना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री जयनारायण व्यास—"सेम डे" को दूसरा दिन समझा जाय ?

श्री अध्यक्ष—Some new thing has come in your mind ?

श्री एच. के. व्यास—No new thing, Sir. It has been raised and it makes the point clear.

श्री अध्यक्ष—That has been clear. Your point has been clear. It is clear to me.

श्री एच. के. व्यास—That means you do not want me to speak.

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, रूल १४६ के क्लॉज पर तो आगे को जाने की उस वक्त जरूरत पड़ती है जब कि रूल १४६ (१) से काम पूरा नहीं पता क्योंकि वह यह है

"When a motion that a Bill be taken into consideration, has been carried and no amendment of the bill is made, the member-in-charge may at once move that the Bill be passed." But there is no member-in-charge, so the clause does not apply.

श्री अध्यक्ष—Well, there is one thing more which has struck me. It is a nice thing for lawyers and the members of this House.

When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried out, that is one thing. We are to see that the motion for consideration was carried in the House or not ? In this particular Bill, the Member-in-charge moved for consideration and there was an amendment that it should be circulated for eliciting public opinion. After that there was a discussion in the House and the motion for consideration was carried. So this thing is also to be taken into account while we interpret the words "same day". That is the thing.

श्री जयनारायण व्यास—That is what my colleague said, Sir.

श्री श्यामलाल गोयल—अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है यह कि क्लॉज २ का जो इन्टरप्रिन्टेशन लिया जाता है उसमें कुछ नई बात जोड़ी जा रही है। लॉ का इन्टरप्रिटेशन

[श्री श्यामलाल गोयल]

करती दफा, रूल्स के इन्टरप्रिटेशन में, कन्स्ट्रक्शन में किसी वर्ड का एड नहीं किया जा सकता, कोई वर्ड कन्स्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि........

श्री श्यामलाल गोयल–"If any amendment of the Bill is made, any member may object to any motion being made on the same day" i.e., on the day of the amendment. मैं इसका मतलब समझता हूं कि जिस दिन अमेन्डमेण्ट आ जाय उसी दिन पास होने को लिया जा सकता है। अगर इस पर अध्यक्ष कहें कि आज नहीं लिया जा सकता तो वह दूसरी बात है। and the word "same" refers to the day of the amendment and not to the day when the Bill was taken into consideration.

श्री अध्यक्ष--Yes. I quite waver to make a decision on this point.

श्री गोपीलाल यादव---(सदस्यों द्वारा बाधा)

श्री अध्यक्ष--I will request the Members of the House, inspite of the fact that they have moved a no-confidence motion in the Chair, that when the Speaker is on his legs, no members of the House should intervene. This is the dignity which the Hon'ble Members should keep, irrespective of the fact that anybody may have moved a no-confidence motion in the chair.

So I quite waver to make a decision just now as to our interpretation of the word "same day". Anyway I reserve my ruling on the point and I will let the House know as soon as I make my mind over it, and for the time being we can postpone this for tomorrow.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष ....

श्री अध्यक्ष—We will now proceed to consider the other Bills.

(श्री गोपीलाल यादव पुनः खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—You can come to my chamber and discuss. I will give you ample time.

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२

श्री रामकरण जोशी—Sir, I move that the Bill to establish and develop local self-Government in the rural areas of Rajasthan, as reported by the Select Committtee, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—The motion is that the Bill to establish and develop local self-government in the rural areas of Rajasthan be taken into consideration.

श्री जसवन्तसिंह–अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन के सामने माननीय मंत्री द्वारा रखा गया है बहुत ही महत्व रखता है। यह बिल ऐसा बिल है जिससे कि हमारे राजस्थान में पंचायत राज्य की स्थापना हो रही है। सिलेक्ट कमेटी ने बहुत समय लगा कर विस्तारपूर्वक इस बिल का निर्माण किया है और इतना बड़ा यह बिल बनाया गया है जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इस बिल को इतना बड़ा बना कर यह इतना कठिन बना दिया गया है कि इसे ठीक ठीक समझने के लिये इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जाय; मैं यह अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहता हूं और इसके कारण बताना चाहता हूं।

इस बिल में यह देखा गया है कि पंचायतों को क्रिमिनल पॉवर्स देने की तजवीज है। एक बहुत ही भयंकर पॉवर पंचायत को दी गई है क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि ग्रामों की जनता अशिक्षित है। अगर शत प्रतिशत जनता पढ़ी लिखी होती तो तब हमें कोई ऐतराज नहीं था। महज लिख पढ सकने से यह मतलब नहीं लिया जाना चाहिये कि वे आदमी पढे लिखे हैं और कानून का ज्ञान रखते हैं और इसलिये उनको ऐसे विशाल अधिकार दिये जायँ। हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में शिक्षा का बहुत अभाव है और शिक्षा का परसेंटेज इतना कम है कि ग्राम पंचायतों को क्रिमिनल पॉवर्स देना वाजिब नहीं हमारे बिल में यह लिखा गया है कि पंचायतों के पंच वे लोग हो सकते हैं जो हिन्दी लिख पढ़ सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि अशिक्षित लोगों को यह ताकत देना इतना खतरनाक होगा और जितना फायदा हम उनसे मिलने की आशा रखते हैं उससे ज्यादा नुकसान ही होगा। इससे दल बन्दी और एक दूसरे से दुश्मनी निकालने का अशिक्षित जनता को इतना बडा औजार मिल जावेगा जिससे जनता का बहुत बडा अहित किया जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में नैतिक स्तर इतना ऊंचा नहीं है जितना कि दूसरे देशों (अमेरिका आदि) का है। नैतिकस्तर ऊंचा न होने और दलबन्दी की वजह से इस प्रकार के पावर्स का वे दुरुपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार की सैकड़ों मिसालें बताई जा सकती हैं जिसमें ऐसा किया गया है। यदि अशिक्षित जनता को ये पॉवर्स दे दिये गये तो जनता का हित होने के बजाय अहित ही होगा। इसलिये मेरा यह खयाल है कि अभी पंचायतों को क्रिमिनल पॉवर्स नहीं दिये जाने चाहिये। सिविल पॉवर्स तो ठीक हैं क्योंकि इससे गरीबों को फायदा होगा और लिटिगेशन भी कम होगा और गांव वालों के छोटे मोटे मामले वहीं पर तय हो जावेंगे, मगर क्रिमिनल पॉवर्स देना एक प्रकार से जनता के खिलाफ शस्त्र उनके हाथ में देना होगा। जहां तक पंचायतों को रेवेन्यू पॉवर्स का सवाल है मैं यह कहूंगा कि वह ठीक है क्योंकि पटवारी या दूसरे किसी भी रेवेन्यू के अधिकारी से वसूली में काफी असुविधा होती है।

तहसील पंचायत के लिये जो प्रोविजन है उसको हम बिल्कुल ठीक नहीं समझते। इसमें ऐसे रेवेन्यू पॉवर्स रख दिये हैं जिससे लोगों को असुविधा हो जावेगी और दलबन्दी का काम शुरू हो जाएगा। इसलिये मेरे खयाल से तहसील पंचायत का प्रोविजन बिल्कुल हटा दिया जावे। इसके बजाय मेरा सुझाव यह है कि सिविल में तो डिस्ट्रिक्ट जज और रेवेन्यू बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेन्स में चीफ पंचायत ऑफिसर को अधिकार होना चाहिये; रिवीजन सुनने का।

[श्री जसवंतसिंह]

इसके सिवाय इलेक्शन की जो व्यवस्था रखी गई है वह बहुत जटिल है हमारे विधान में जो चुनाव का तरीका है वैसा चुनाव का तरीका रखा है। मैं यह कहूंगा कि इसमें शो अप हैन्ड का तरीका होना चाहिये।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा सरपंच पब्लिक द्वारा डाइरेक्ट चुनकर भेजा जावेगा और दूसरे पंच भी डाइरेक्ट चुन जाकर भेजे जावेंगे; मगर सरपंच में अविश्वास का प्रस्ताव पंच करना चाहें तो उसके लिये ऐसा प्रोविजन होना चाहिये कि वह जातीयता के विष का शिकार न बन जावे। यदि एक जाति के पंचों की संख्या ज्यादा हो गई तो पब्लिक द्वारा चुने हुए सरपंच को हटाया जा सकता है। यह बात बहुत बुरी रखी गई है।

इसके अलावा यह बिल बहुत लम्बा है और इसकी भाषा इतनी जटिल है कि एक मामूली पढ़ा लिखा सरपंच इसको पढ़ने में कठिनाई महसूस करेगा। यह बिल सरल और आसान भाषा में होता और प्रोविजन ऐसे तथा बहुत कम बनाये जाते जिससे सब लोग आसानी से समझ सकते, तो ठीक था। लेकिन यह बिल इतना लम्बा और कठिन कर दिया गया है कि अशिक्षित या कम पढ़े हुए सरपंचों की समझ में यह नहीं आएगा।

पंचों की तादाद जो रखी गई है वह ज्यादा से ज्यादा १५ तक रखी गई है यह कोई अच्छी चीज नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—You will not go in details. You will refer to the reasons why it should be circulated for eliciting public opinion.

श्री जसवन्तसिंह—पंचो का इतना बड़ा बोर्ड जरूरी नहीं है। इससे और झगड़े बाजी होगी। आखिर में यह कहीं नहीं बतलाया गया है और मैं समझता हूं कि इस बिल के मूवर मन्त्री महोदय इसे साफ करेंगे कि अगर यह बिल अमेंडमेंट के साथ या असली सूरत में पास हो गया तो इसके प्रोविजन्स लागू होंगे वे पहले से जहां जहां पंचायतें चालू हैं, वहां भी लागू होंगे या उनकी मयाद खत्म होने पर लागू होंगे; इसकी सफाई करें।

इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं, अमेंडमेंट पेश करता हूं कि अभी तक इस बिल में बहुत सी बातें हैं जो असंतोषजनक हैं, जिसके कारण इसका जनता के सामने जाना जरूरी हैऔर जनता को मौका देना चाहिये कि जिस बिल के जरिये उनको पंचायती राज्य कायम करने का मौका दिया जा रहा है, वह बिल कैसा है। यह बिल पब्लिक ओपिनियन के बाद हमारे पास आयेगा तभी जनता इसका फायदा उठा सकेगी।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, जहां तक इस बिल का सवाल है माननीय मेम्बर ने बताया कि इसे पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य वास्तविक हालत को भूल गये हैं कि अब भी राजस्थान में पंचायतें कायम हैं और बहुत अच्छे ढंग से काम

[श्री श्रीदास गोयल]

चल रहा है, पंचायत एक्ट हमारे राजस्थान में प्रचलित है वह स्वस्थ है। फिर आपकी यह दलील कि इसे पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा जाय, कहां तक ठीक है ?

आपने पीनल ओफेन्सेज की जूरिस्डिक्शन का जिक्र किया। पीनल कोड में बहुत से साधारण मामले जैसे गाली-गुफ्ता, हमले का गेस्चर आदि को लेकर ग्रामीण-जन मुकद्दमेंबाजी करते हैं, अदालतों के खर्चे से जेरबार होते हैं, और वकीलों से लूटे जाते हैं और अन्त में कई वर्षों के बाद उन्हें न्याय मिलता है कि हारने वाला तो हार ही जाता है, जीतने वाला भी हार जाता है।

मेरे लायक दोस्त को अपोर्चुनिटी थी अमेंडमेंट पेश करते वक्त कि इसमें जो सेक्शनन्स बताये गये हैं, उनमें से उनकी निगाह में कोई ऐसी सेक्शन्स हों जो आगे जाकर पंचायतों के हाथ में तेज हथियार हो जाती तो उनके लिये वे सदन का ध्यान दिलाते कि वह नहीं होनी चाहिये, पर मेरे दोस्त शायद भूल गये हैं कि अभी जो पंचायत एक्ट प्रचलित है उसमें पीनल कोड के बहुत से सेक्शन्स मौजूद हैं और उनके होने से जनता को काफी राहत मिली है। इस तरह इस बिल से ग्रामीण जनता को राहत ही मिलेगी।

मेरे माननीय मित्र ने एक दलील और दी है कि हमारे ग्रामीण अशिक्षित हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश को स्वतन्त्र हुए ५ वर्ष हो गये और हमें सोचना है कि शिक्षा का काफी प्रचार हुआ है और ग्रामीण प्रचलित पंचायतों को अनुभव के आधार पर साधारण मामलों को निबटाने में सुयोग्य हैं। रेवेन्यु पॉवर्स के मामले की तो आपने ताईद की है।

इलेक्शन के सिलसिले में मेरे दोस्त ने समझने की शायद जल्दी की होगी, आपने कई बातें जो कहीं वे इस बिल में नहीं हैं।

सरपंच के चुनाव के बारे में जो बातें आपने कहीं उनके बारे में यही अर्ज करूंगा कि डेमोक्रेसी के जमाने में ओटोक्रेसी का मेथड नहीं अपनाया जा सकता। सरपंच के चुनाव का अधिकार पंचों के हाथ में ही होता है और यही चुनाव प्रणाली लेजिस्लेटिव एसेम्बली से लेकर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तक में लागू होती है। यदि सरपंच विश्वास खो बैठते हैं तो उन मशीनरी का काम चलना ही मुश्किल हो जाता है।

बिल की भाषा के संबन्ध में मैं यही अर्ज करूंगा कि वह भाषा पहिले से ही बहुत से एक्ट्स में है।

अंत में यह अर्ज करूंगा कि जो अमेन्डमेंट इस बिल को पब्लिक ओपीनियन भेजने बाबत रखा है उसे रद्द किया जाय क्योंकि इस बिल को जनता की राय के लिये भेजने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष, जो प्रस्ताव ओपोजीशन के नेता ने रखा है उसके समर्थन में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। यह बात ठीक है कि हम सब पंचायती राज्य चाहते हैं; पर हमें देखना है कि किस हद तक वह चल सकता है और गांवों के लोग किस हद तक उस बोझे को उठा सकते हैं। जिनके सर पर यह बोझा हम डालना चाहते हैं वे उस बोझे को उठाने को तैयार हैं कि नहीं। अगर आप आज मजदूरों को कहो कि २ साल के बच्चे पर एक मन बोझा डालेंगे तो यह कतई उचित नहीं,

[श्री गोपीलाल यादव]

इस बारे में उन्हें पूछना जरूरी हो जाता है । इसी तरह पंचायती राज्य तो कायम करना है ; यह तो एक निश्चित चीज है पर उन्हें पूछना है कि कितना बोझा उठा सकते हों ?

मैं एक छोटी सी चीज सदन के सामने रखता हूं । यह कोई आक्षेप की बात नहीं है । कल यहां एक बिल पेश हुआ । उसमें यह बात थी कि गवर्नमेंट एक सरकारी अफसर को फैसले के लिये मुकर्रर करेगी, और वह अफसर रिपोर्ट करेगा । जब कि छोटी से छोटी बात पर भी गवर्नमेंट बड़े से बड़े अफसर का भरोसा नहीं करती तो फिर यह बड़े से बड़े काम कम समझदार लोगों के जिम्मे क्यों डाल रही है, यह क्या बात है ? हमारे वहां भरतपुर में नायब तहसीलदारों के थर्ड क्लास पावर्स थे और राजस्थान बनने पर राजस्थान सरकार ने कहा कि ये पावर्स छीन लो क्योंकि वे उन्हें एक्सरसाइज करने के लायक नहीं हैं ; जो इस लायक होंगे और जिनकी अफसर सिफारिश करेंगे उन्हीं के थर्ड क्लास पॉवर रहेंगे । जब सरकार ग्रेज्युएट नायब तहसीलदारों को यह पॉवर्स नहीं देती तो ग्रामीणों को यह पॉवर्स देना कहां तक वाजिब होगा । जो अधिकार पंचायतों को इस बिल में दिये गये हैं उनको मैं पढ़ कर सुनाता हूं ।

(कुछ ध्वनियें–"हम पढ लेंगे")

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष, इनको रेफर करना ही पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उनको बिना पढ़े समझना मुश्किल है । माननीय सदस्य कहते हैं कि हम पढ लेंगे............

श्री अध्यक्ष-- They have read it

श्री गोपीलाल यादव--उन्होंने पढा है, लेकिन समझा नहीं है । मैं चाहता हूं कि उन्हें समझा दूं । पढने को तो उन्होंने सारे एक्ट को पढ़ा है । अब देखना यह है कि जो सारे काम पंचायतों के सुपुर्द किये हैं वे पंचायतें समझ पावेंगी या नहीं । क्योंकि वे जो पावर्स नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों को भी, जो कि पढे लिखे हैं, नहीं दिये गये हैं तो वे पंचायतों को जो दिये गये हैं, यह गलत चीज है क्यों कि वे पंचायतें इन पावर्स को एक्सरसाइज करने का तरीका हर्गिज नहीं समझ सकेंगी ।

दूसरी बात यह है कि पंचायतें किस तरह की बनें इस चीज को भी सोचना बहुत जरूरी है । इस एक्ट के आधार पर जो पंचायतें बनेंगी उनको एग्जिक्युटिव पॉवर्स हैं, लेजिस्लेटिव पॉवर्स हैं और ज्युडिशियल पॉवर्स भी हैं । जिन पॉवर्स को राजस्थान गवर्नमेंट भी नहीं संभाल सकती और यह हाउस भी नहीं संभाल सकता वे तमाम अधिकार इन पंचायतों को दिये गये हैं । वह एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है तमाम गांव के लिये और वह एक जज भी है अपने गांव के लिये । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जुडिशियल पॉवर्स भी आप इसी को देंगे या नहीं । अब तक जो पंचायत एक्ट यहां था उसके अनुसार और जो पंचायत एक्ट्स यू. पी. और सी. पी. में चल रहे हैं उनके अनुसार गांवाई पंचायतें अलग हैं और अदालती पंचायतें अलग होती हैं । पंचायत के पॉवर्स शहर की एक म्युनिसिपेलिटी के पॉवर्स के समान सफाई आदि के होते हैं; जुडिशियल फंक्शन्स अदा करनेवाली अलग पंचायतें होनी चाहिये। शहरों की म्युनिसिपेलिटियों के सदस्य पढ़े लिखे होते हैं पर उनको क्रिमिनल पॉवर्स क्यों नहीं दिये जाते ?

Page No.59

[श्री गोपीलाल यादव]

आज आपके जयपुर शहर की म्युनिसिपेलिटी है, जिसके सदस्य पढे-लिखे हैं । आज आप उनको क्रिमिनल पावर्स देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि यदि ये पॉवर्स दे दें तो लोग बगावत करदें । लोग कहेंगे कि जो लोग पार्टी के बेसिस पर चुने गये हैं वे लोग ईमानदारी से काम नहीं कर सकते । लेजिस्लेटिव के काम के लिये तो पार्टी बेसिस पर चलना ठीक भी हो सकता है क्योंकि पार्टी की पोलिसी के अनुसार काम करते जावें ; पर उनको जज के अधिकार नहीं दिये जा सकते । इसलिये यदि पंचायतों को ऐसे पॉवर्स देंगे तो यह खतरनाक बात होगी ।

इसमें कुछ पोवर्स लाजमी रखे गये हैं और कुछ मर्जी पर यानी ओब्लिगेटरी और डिस्क्रीश्नरी। पंचायतों के लिये जो पावर्स लाजमी होने चाहिये थे वे तो डिस्क्रीश्नरी रखे गये हैं और जो डिस्क्रीश्नरी होने चाहिये थे वे लाजमी रखे गये हैं । इस बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूं । यदि मेरे मित्र चाहें तो मैं उनको पढ़दूं । पढ़ने से उनको मदद मिलेगी और मैं उन्हें समझा दूंगा । ओब्लिगेटरी पॉवर्स हैं पंचायतों के, श्रीमानजी, जिनको गांव के लोग कितना जान सकते हैं..............

श्री अध्यक्ष—You will not read the sections.

श्री गोपीलाल यादव—तमाम दुनिया भर के काम इस लिस्ट में मौजूद हैं मेडिकल रिलीफ, एज्युकेशन, सडकें, सफाई, बिल्डिंग, रोशनी और जितनी दूसरी चीजें हो सकती हैं, इसमें हैं और इतनी तादाद लाजमी है और जो छोटे छोटे काम जिनको गांव के लोगों को करना चाहिये डिस्क्रीश्नरी कर दिये गये हैं और जो मुश्किल काम हैं जैसे मेडिकल रिलीफ, ऐज्युकेशन आदि उनको ओब्लीगेटरी कर दिया गया है । यदि पंचायतों को इसके योग्य समझते हैं और यह समझते हैं कि वे इस बोझ को सहन कर सकेंगी तो जो म्युनिसिपल बोर्ड्स के फंकशन्स हैं सफाई आदि के ; उनको ओब्लीगेटरी बनाना चाहिये और बाकी के फंक्शन्स जैसे ऐज्युकेशन आदि इन्हें डिस्क्रीश्नरी बनाना चाहिये था ; लेकिन वे ओब्लीगेटरी बना दिये हैं । इसलिये मालूम होता है कि सिलेक्ट कमेटी ने इस पर अच्छी तरह से विचार नहीं किया है । सिलेक्ट कमेटी के लोगों में निश्चित चीज यह है कि सिलेक्ट कमेटी ढंग की नहीं बनती । वह इस तरह से बनाई जाती है कि फलां आदमी इसमें आये हैं, बाकी बचे हुओं में से १५ आदमी दूसरी कमेटी में लेलो और बाकी बचे हुए १५ को तीसरी कमेटी में ले लो ताकि उनका भत्ता पकता रहे। जो मास्टर माइन्ड्स हैं उनको नहीं रखा जाता है । इसलिये सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट ठीक नहीं बन पाती और इतने महत्वपूर्ण मामले यों हीं छोड दिये जाते हैं ।

श्री बी. एन. जोशी—Do the Hon'ble member regard himself a master-mind ?

श्री अध्यक्ष—I may inform that all the members of the House are master minds.

श्री उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव

श्री सम्पतराम (राज्य पक्ष):—On a point of order, Sir, I have just tabled a no-confidance motion against the Deputy Speaker of this Assembly, Shri Lal

[श्री सम्पतराम]

Sinha Saktawat. May I know what date has been fixed for the discussion in respect of this motion

श्री अध्यक्ष—It is very unfortunate that a motion of no-confidence has been tabled against the Deputy Speaker. I was thinking that such a motion has been made only against me. But now I have to fix a date for him and he has to fix a date for me.

(विराम)

It will be placed before me, and I will see whether it is in order and then fix up a time.

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२

श्री गोपीलाल यादव—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त आप पंचायतों के पॉवर्स के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको तीन पॉइन्ट सामने रखने चाहिये । आप यह सोचें कि क्या जितने सिविल और क्रिमिनल के पॉवर्स हैं वे सब इनको दिये जांय ? इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को क्या पॉवर्स देंगे और तहसील कमेटियां बनेंगी उनके क्या पोवर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, तहसील बोर्ड और पंचायत इन तमाम का कंसोलिडेटेड कानून यदि लोगों के सामने आवे तो ज्यादा अच्छा हो । अभी इसमें जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है । गांवों में से कई गांव ऐसे हैं जिनमें हर एक में स्कूल नहीं है । कई गांवों में तो चिट्ठी पढ़नेवाले भी नहीं मिलेंगे । फिर ये इन पॉवर्स को कैसे समझ सकेंगे । एक पढ़ालिखा आदमी सारी पंचायत को नचायेगा । इसमें यह भी प्रोविजन है कि कोई आदमी पंचायत के सामने अपने एजेन्ट को भेज सकेगा । चाहे सिविल सूट हो या क्रिमिनल हो, लोग पढ़ेलिखे वकीलों को अपना एजेण्ट बना कर भेजदेंगे चाहे, वकील के नाम से वे न भी जा सकते हों और वह अकेला आदमी सारे गांव को चक्कर में डाल सकेगा । जब गांवों में शिक्षा का इतना प्रचार नहीं है, लोग समझते नहीं हैं तो पंचायतों पर इतना बोझा डालना जरूरी नहीं है ।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं इस पक्ष में नहीं कि इस जनतन्त्रीय राज्य में पंचायत जैसे काननों को ज्यादा समय तक रोका जाय और पास न किया जाय (ट्रेजरी बेंच की ओर से करतलध्वनि) ऐसे कानून तो जल्दी से जल्दी पास करने चाहिये औरमैं समझता हूं कि यह तो पहले कानून होना चाहिए था जो सदन के सामने आता । मैं सदन को कह देना चाहता हूं कि पंचायत आज से नहीं सदियों से चली आरही है । लोग पंचायतें कभी से करते आरहे हैं । पंचायतें आज जनता के लिए कोई नई चीज नहीं है । सब लोग जानते हैं कि पंचायतें किस तरह से की जानी चाहियें और किस तरह से नहीं की जानी चाहिए । अगर हक हकूक दिये जाते हैं तो जनता समझती है कि हमको कोन्फिडेन्स में लाया जा रहा है । यह लाजमी नहीं है कि ऐसे कानून रोके जांय और पास नहीं किये जायं । हो सकता है कि कुछ ऐसी धाराएं हों जिनको देखा जाना चाहिये और उनको देखकर उनमें संशोधन होना चाहिए । जैसा कि इस बिल में एक धारा ऐसी है जिसमें रखा गया है कि जो वकील रह चुका है वह पंचायतों में एपियर नहीं हो सकता । यह ऐसा दृष्टिकोण रखा गया है जिससे कोई भी वकील, जो रिटायर होकर अपने घर रहता है वह किसी अपने रिश्तेदार के लिए भी एपीयर नहीं हो सकता ।

Page No.61

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

श्री हरिदत्त--A vakil never retires.

श्री खेतसिंह--बूढा होने पर प्रेक्टिस छोड कर घर बैठ जाय, अगर वह अपने रिश्तेदार के लिये प्लीड करना चाहे, अपने कुटम्ब के किसी सदस्य के लिए प्लीड करना चाहे; चाहे वह अपनी औरत के लिए ही प्लीड करना चाहे तो वह वहां नहीं जा सकता । अगर इस प्रकार के सेक्शन्स हों तो वे हटा दिये जाने चाहिए । अपने कुटम्ब के लिए एक मजिस्ट्रेट एपियर हो सकता है, एक रिटायर्ड मिनिस्टर भी एपियर हो सकता है तो क्या बात है कि वकील के लिए ऐसी चीज रखी जाय कि वह अपने रिश्तेदार, कुटुम्ब के लिए भी अपीयर न हो सके । इस सेक्शन को हटाना जरूरी है । इसके अलावा कुछ क्रिमिनल पॉवर्स पंचायतों को ज्यादा दे दिये गये हैं जो एस.डी.एम.के लिए रिजर्व रखे जाने चाहिये थे; खैर फिर भी यदि वे पॉवर्स तहसील पंचायत को दे दिये जावें तो कोई खास ऐतराज नहीं क्योंकि तहसील पंचायतों में अच्छे पढ़े लिखे आवेंगे । मैं इतना ही कह कर बैठूंगा कि यह कानून जल्दी पास होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--So you oppose the amendment.

श्री खेतसिंह--Yes, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय अध्यक्ष, जो बात श्री खेतसिंह ने कही है वही बात मैं दोहराने के लिए खड़ा हुआ हूं । संयुक्त दल के मित्र माननीय श्री गोपीलालजी ने जो तरमीम रखी है वह मेरे खयाल से गलत तरमीम है । इस कानून की कुछ धाराओं से हमारा मतभेद हो सकता है । इस कानून में कुछ कमियां रह गई हैं । सैद्धान्तिक रूप से यह कानून ऐसा कानून नहीं है जिसको पास नहीं किया जाय। यह कानून तो ऐसा कानून है जिसको पास किया जाय (ट्रेजरी बेंच की ओर से करतल ध्वनि) इस लिये इस कानून में अमेन्डमेन्टस जो हों उनसे यह कानून ठीक किया जा सकता है। जनता नहीं चाहती है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाय । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता चाहती है कि पंचायत का कानून बने और उसमें पब्लिक ओपीनियनलेने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

दूसरी बात माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहना चाहूंगा कि पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं और इसलिए इसका जिम्मा नहीं ले सकते। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि हम लोग चुन कर आये हुए हैं ; जो कानून बना रहे हैं और हम उन्हीं लोगों द्वारा चुने गये हैं जिनको पढा लिखा नहीं कह कर उनके अधिकारों को भंग किया जा रहा है । (ट्रेजरी बेन्च की ओर से करतलध्वनि) यदि उन लोगों द्वारा कानून बनाया जा रहा है जो कि चुने हुए आये हैं तो क्यों कहा जारहा है कि पंचायतों को अधिकार देने में नुकसान होगा ।

तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वह यह है कि एग्जिक्युटिव और ज्युडिशियरी मिला जुला कर पंचायती कानून में रखे गये हैं। वे पंचायती कानून में रखे जा सकते हैं और यह सैद्धान्तिक रूप से कोई गलत चीज नहीं है । सदन के नेता माननीय व्यासजी एक बार कह रहे थे पिपुल्स कोर्ट के बारे में और दूसरी चीज के बारे में । उनकी इत्तला के लिए मैं यह बता दूं कि इस प्रकार की अदालतों का नाम ही पिपुल्स कोर्ट है और यह बात सैद्धान्तिक है । कचहरियों में हजारों रुपया खर्च करने के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बजाय चुने हुए प्रतिनिधियों की राय से ही उन मसलों को, लीगल प्रोसिडिंग्ज में न जाकर, तय कर लिया जाय, यह जनता के हित की बात है । अतः कानून के दर्जे से कमियां महसूस करते हुए भी मैं समझता हूं कि इस बिल को पास करने में डिले (विलम्ब) नहीं करनी चाहिए और पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट करने का प्रस्ताव सही नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह—अमेन्डमेन्ट यह पेश किया गया है कि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्क्युलेट कर दिया जाय । कई मेम्बर साहबान ने ऐसे भी सुझाव दिये हैं कि यह पिपुल्स कोर्ट के बराबर है । पिपुल्स कोर्ट के बारे में सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि चीन में भी पिपुल्स कोर्ट हैं और उससे बढ़ कर भी कई कोर्ट्स हुए हैं ; जो अब बिल्कुल अबोलिश हो चुके हैं । अगर ऐसी परिपाटी देश में लानी है तो उसके लिए सब सहयोग देना चाहते हैं ; जैसी कि उधर से (ट्रेजरी बेन्च की ओर इशारा करते हुए) तालियां हो रही हैं । उनका किसी विशेष वर्ग को निमन्त्रण देना है । तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि इसके लिए मैं आपको सावधान करदूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सदन के दोनों वर्ग के लिए लागू है। विशेष वर्ग से . . . .

श्री अध्यक्ष—He is in possession of the House. It is his right to speak.

श्री हिम्मतसिंह—इस बारे में क्यों आपत्ति होती है लोगों को ? वे सर्क्युलेशन के बारे में क्यों मान लेते हैं कि यह डिलेइंग टेक्टिक्स है ? क्या हम अपने भाईयों को पब्लिक के विश्वास में नहीं लेना चाहते ? क्या हम उनकी राय नहीं लेना चाहते ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो सर्क्युलेशन ओरिजिनल बिल का हुआ था उस बिल को अभी तक लोग बाग ठीक तरह से नहीं समझ सके हैं और उन पर जो अमेन्डमेन्ट हुए हैं उनको उन्होंने देखा भी नहीं है । ऐसी सूरत में कम से कम जो अमेन्डमेन्ट्स हुए हैं उनको देखना लोगों के लिए बहुत जरूरी है । अगर यह सर्क्युलेशन के लिए भेज दिया जाय और इस पर पब्लिक ओपिनियन इनवाइट कर ली जाय तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । यह कहना कि यह तो डिलेइंग टेक्टिक्स है, गलत है ; क्योंकि मेरा ऐसा खयाल है कि, राजस्थान के अधिक हिस्सों में तो पंचायतें कायम हैं और अपना काम कर रही हैं । इस सर्क्युलेशन से उनका काम बन्द नहीं हो जायगा । जहां पंचायतें नहीं हैं वहां के लिए थोड़े दिनों की रुकावट हो सकती है ; जहां पंचायतें मौजूद हैं वहां इससे कोई रुकावट नहीं पड़ती है । उचित तो यही है कि जितने कानून संशोधित होकर आवें उनको पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट किया जाय और फिर उनको कानून की शक्ल दी जाय ; ताकि वे देश के हित में अच्छे साबित हों । ऐसा ही कर्तव्य सब का है और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल सर्क्युलेशन के लिए भेज दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—श्री कानसिंह

श्री दिलीपसिंह—मैं एक इन्फॉर्मेशन चाहता हूं । वह यह कि यह बिल पहली बैठक में पेश हुआ था और उस वक्त क्या यह पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्क्युलेट नहीं किया गया ?

श्री कानसिंह—It is all frivolous, Sir.

Page No.63

श्री रामकरण जोशी--उनका यह कहना है कि यह बिल पहले सदन में पेश हो चुका था और वह पब्लिक की जानकारी के लिए सर्क्युलेट किया जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष--I may inform the Member that even if it is circulated for eliciting public opinion, the Hon'ble Member has a right to move an amendment, after the presentation of the report of the Select Committee, to re-circulate it for eliciting public opinion.

श्री श्रीदास गोयल--He wants information whether it was circulated.

श्री अध्यक्ष--And I gave him further information.

(विराम)

Yes, Shri Kan Singh.

श्री कानसिंह--पंचायत बिल जो हमारे सामने है और जिसके बारे में विरोधी दल के नेता ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्क्युलेट किया जावे, मैं अर्ज करूंगा कि इसके माने यह कदापि नहीं लेना चाहिये कि सदन के इस तरफ बैठने वाले हम लोग या हमारे नेता कोई भी इस बिल के सिद्धान्तों के खिलाफ हैं ।

इसके सिद्धान्तों के खिलाफ तो होने की कोई बात ही नहीं है । यह पंचायत बिल करीब करीब पुरानी सभी बड़ी बड़ी रियासतों, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर आदि में पहले से ही लागू हैं और बहुत से गांवों में पंचायत बिल की तरह पंचायतें मौजूद हैं और काम कर रही हैं ।

अब जो यह नया बिल राजस्थान के लिए इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसके जरिये से पंचायत को पहले के मुकाबले में और कहीं ज्यादा अख्तियार दिये जा रहे हैं और हमें यह देखना है कि हम जल्दी में कहीं बहुत ज्यादा ऐसे अख्तियार देकर इस बिल को पास न कर दें जिसकी रूह से पंचायत, जो जो कर रही है, आज भी ठीक काम कर रही है वह बाद में भी ठीक काम कर सकेगी या नहीं ?

पंचायतों का मेरा खुद का तजुर्बा है । बीकानेर में पहले से पंचायतें चल रही हैं, यह मैं जानता हूं । वे अपने अधिकारों को इस वक्त भी सुचारु रूप से नहीं चला रही हैं । इसलिए हमें यह देखना है कि हम इस मामले में कितने आगे बढ़ सकते हैं । मेरे दोस्त खेतसिंह ने अभी इस बात को माना है कि इस बिल में कुछ नुक्स हैं । जैसा कि वकील को करने का है उन्हें अपने भाइयों की पैरवी करने का मौका नहीं है, यह वह गलत कह रहे हैं । मैं तो कह रहा हूं कि वकील बन कर पैरवी करे और नाजायज फायदा उठावे ; वह इतना ही क्यों करेगा । वह वकालत ही नहीं करेगा । वह तो अपने हल्के में जाकर पंचायत का सरपंच बनने का प्रयत्न करेगा और वहां पंचायत का जज बन कर फैसला ही अपने हाथों क्यों नहीं करेगा ? खुद पंच बनकर तो अपने आपको और अपने आदमियों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है । वह ऐसा ही क्यों नहीं करेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय सदस्य जरा मुंह दूर रखकर माइक से बोलें तो अच्छा हो।

श्री कानसिंह—(भाषण जारी) वह खुद जज बनकर न्याय करने लगेगा और तब सोचा जा सकता है कि कैसा न्याय होगा।

इसके साथ साथ जब गांवों में पंच बनेंगे तो वे पार्टी की बेसिस पर बनेंगे और इसके बाद एक बार एक शख्स ऐसा जज बन जावे और वह जज किसी मुकद्दमें में इन्टरेस्टेड हो और विरुद्ध पक्ष वाला अगर ऑब्जेक्शन भी उठाना चाहे तो नहीं उठा सकेगा। क्योंकि उस पंचायत में तो उसी पंच की मेजोरिटी है, गांव में बसने वाली अधिकतर आबादी उसी के पक्ष में है; तो बताइये उसको हटावेगा कौन? जैसे अभी हमने माननीय स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रक्खा, लेकिन हमारी माइनोरिटी है; बताइये कोन हटा सकता है उन्हें? तब.........

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble member has finished his point.

श्री कानसिंह—(जारी) वहां तो सब काम लाठियों से चलता है। यहां तो फिर भी समझदार लोग हैं; इसलिए समझ भी जाते हैं। गांवों में अशिक्षित लोग काफी दंगे फिसाद करेंगे। इसलिए मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इसके परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे।

मैं यह फिर दुहरा दूं कि हम इसके सिद्धान्तो के खिलाफ नहीं हैं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि इसको कुछ महीनों के लिये आगे सरका दिया जावे तो पब्लिक में भी इसका प्रचार इस बीच हो जाय और इस बीच और भी तैयार होकर हम भी आ सकेंगे और इसकी और कोई भी खामी होगी तो उस पर विचार किया जा सकेगा। सिलेक्ट कमेटी ने जल्द बाजी से इसमें काम लिया है। एक सिटिंग या दो सिटिंग के कुल मिला कर पांच-छः घंटों में इसे तैयार किया होगा।

सो मैं कहता हूं कि इस महत्व पूर्ण बिल को जल्दी में पास नहीं करें। इससे हम भी सहमत हैं, हम भी पास करने वाले हैं, मत देंगे।

(श्री जयनारायण व्यास मुख्य मंत्री द्वारा "हियर-हियर")

अभी लिया जावेगा तो काफी खामियां इसमें रह जावेगी। समय मिलने पर पूरी तरमीमें लेकर आवेंगे इस पर भी अगर आप कहें कि इसे जल्दी पास करो, जल्दी करो तो यह जल्दबाजी का तरीका कानून पास करने का नहीं है। आपको धीरे धीरे चलना चाहिये, कानून पास करने में अगर इस बात के लिए आप तैयार हैं कि इस पर दो तीन दिन तक बहस की जावे तो कम से कम चार पांच दिन लग सकते हैं। पर इसके लिये आप तैयार नहीं होंगे। इसलिये इस हालत में मैं कहूंगा कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये प्रसारित किये जाने का जो प्रस्ताव है उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—I have allowed 7 members from the Opposition to express their views on this amendment. After the Leader of the Opposition and the other members of the same party have expressed their views it is not

[श्री अध्यक्ष]

necessary to allow all the members of the same party to do so. I think the view has been sufficiently elucidated by Members who have moved this amendment motion and I think it has sufficiently been discussed, because there was a misunderstanding when I gave my ruling about this. It will now call upon the Member-in-charge that if he has to say anything he can say so briefly and then I will put it to vote.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--अभी जो बिल सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है उस पर आज इस स्टेज पर भी ऑपोजीशन के लीडर , श्री जसवन्तसिंहजी, की तरफ से इस तरह का अमेन्डमेन्ट पेश होगा ; इसकी मैं उम्मीद नहीं करता था ।

मैं यह आप लोगों के सम्मुख निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ४६ से यह बिल स्टेट मिनिस्ट्री और राजस्थान सरकार के बीच में आता जाता रहा है और आज उसके लिये यह मौका आया है कि वह इस सदन में सन् ५३ में आकर आपके समक्ष अ ल विचारार्थ प्रस्तुत है ।

आप लोग यह ख्याल करते है कि गांवों में रहन वाले लोग अशिक्षित हैं, उनका नैतिक स्तर नीचा है, वे दलबन्दी में फंसे हुए हैं तो मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि आप उन्ही के नुमाइन्दे इस समय उपस्थित हैं और अधिकतर सदस्य ऐसे आदमियों की नुमाइन्दगी करते हैं जो देहात के रहने वाले हैं और अशिक्षित हैं। अगर हम इस सदन में बैठ कर उन्हीं के बारे में इस तरह की राय प्रकट करते हैं तो मेरा कहना है कि आप ही इसको सोचें ।

बाकी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पंचायत विधान के लागू होने के बाद राजस्थान की जनता के उस हिस्से को अधिकार प्राप्त होंगे जो हिस्सा शताब्दियों से शोषित है, जिसके ऊपर एक ऐसे तबके का वजन पडा हुआ है, खास तौर से देहातों में, जो दावा करता है कि वह पढ़ा लिखा है, सभ्य है, शिक्षित है, न्यायशील है। उस तबके का, उस स्वार्थवाले तबके का वजन उठाते उठाते उनके कंधे दुख चुके हैं उनके कन्धों से यह भार उठाने वाला यह पहला कार्य है और हम सदन में आने वाले, इस शोषित तबके के प्रतिनिधियों ने उनसे वादा किया था कि सदन में अच्छी से अच्छी राय उन के हित में देंगे। उन्हीं प्रतिनिधियों ने आज इस सदन में इस बिल पर विचार करते समय जो रुख अख्तियार किया है उसके इस कार्य को मैं उस तबके के प्रति अहसान फरामोशी के सिवाय किन शब्दों में व्यक्त करूं ("हियर–हियर" सरकारी पक्ष की तरफ से) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की बातें कही गई हैं इस सदन में और इन बातों में यह कहा गया है कि इनको क्रिमिनल पॉवर्स नहीं दिये जाने चाहिये। यह भी निहित स्वार्थ की पुकार के अतिरिक्त और क्या है ? जब कि इन लोगों ने एक तरह से देहातों में रह कर इस तरह के क्रिमिनल पॉवर्स हासिल कर रक्खे हैं, सदियों से अशिक्षित हाथों में, कि जिससे बुरी तरह से जनता के इस हिस्से को शोषित किया गया है; आज भी वह दमन की चक्की वैसे ही चल रही है ।

आज वर्षों से इस दमन की चक्की में पिसने के बाद इस बिल के द्वारा जनता को उसका असली हक मिल रहा है। वे समान पैमाने पर आये हैं, एक तराजू पर आये हैं। आज सदियों बाद उनको उनका

Page No.66

[श्री रामकरण जोशी]

जन्म सिद्ध अधिकार मिला है कि वे तय करें कि ये पावर्स किनके पास जाने चाहिये ? उनके देहाती एड-मिनिस्ट्रेशन के पास जाने चाहिये; यह उनके प्रतिनिधियों की मांग है। इस बात का मौका आज उनको मिला है सैंकड़ों वर्षों के बाद। यह मौका आने वाला है पंचायत विधेयक निकलने के बाद कि वे किनको अपने यहां न्याय कर्ता मानते हैं अपने स्थानीय छोटे मोटे मामलों में। ऐसे मौके को निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति टालते रहे हैं। आज भी ये टालने की बातें इस तरह से चतुराई के साथ जब पेश की जाती हैं तो अफसोस होता है।

एक माननीय मित्र ने यह कह दिया कि इस बिल के लिये सिलेक्ट कमेटी की एक, दो मीटिंग करके दो-तीन घंटे में ही इस पर बहस करके सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करदी। उन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चालीस घन्टे तक और ६ दिन की बैठक में इस बिल के एक एक शब्द को जांचा और तोला है और फिर सदन के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की है। अगर आप सिलेक्ट कमेटी के प्रति इसी प्रकार से अपना आभार प्रदर्शित करते हैं तो मैं इसके लिये कुछ नहीं कहना चाहता। इस बिल के सदन में प्रस्तुत होने में काफी अर्सा होगया, काफी देर हो गई। आस-पास के पड़ोसी राज्यों और प्रान्तों में ग्राम पंचायत विधेयक निकल चुका है। क्या मध्य भारत और पंजाब की जनता के नैतिक स्तर से हमारे प्रान्त की जनता का नैतिक स्तर इतना ज्यादा गिरा हुआ है ? राजस्थानी होने के नाते आप लोगों का यह फर्ज है कि मध्य भारत की ग्रामीण जनता स्वराज्य का जितना उपभोग कर रही है उसके लायक हम भी अपनी राजस्थानी जनता को अवसर दें। इसलिये मैं सदन से निवेदन करता हूं कि जिस लचर दलील के साथ यह संशोधन रखा गया है, हाउस इसकी जरूरत को देखते हुए, राजस्थान की एक करोड़ २६ लाख जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, इस लचर अमेंडमेन्ट को वापिस ले लें। यह मैं, उनके निश्चय के लिये छोड़ता हूं। अगर वे अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेनें के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि वह इस लचर अमेन्डमेन्ट को गिरा कर इस बिल को विचारार्थ लेने में मेरी मदद करें।

श्री अध्यक्ष--So I put the amendment to question.

I read the amendment :—

"I deem it necessary that the Rajasthan Panchayat Bill, as reported by the Select Committee, for consideration may be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon".

The question is that the amendment be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is defeated.

(विराम)

Now we proceed to consider the Bill clause by clause.

Page No.67

[श्री अध्यक्ष]

(श्री भैरोंसिंह बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष (पूछताछ के पश्चात्)--

There is another motion that the Bill be re-committed to the same Select Committee. (श्री भैरोंसिंह को सम्बोधित करते हुए) Do you want to say something over it ? You are entitled to say.

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ)--अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बिल के सिद्धान्तों से कोई विरोध नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो। मुझे इस बात का दुख है कि राजस्थान विधान सभा में यह बिल बहुत देरी से प्रस्तुत किया गया। मैं यह भी महसूस करता हूं कि इस बिल की देरी से प्रस्तुति के कारण राजस्थान की जनता को काफी नुकसान हुआ है परन्तु साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम राजस्थान में लोकराज्य स्थापित करने जा रहे हैं, उस लोकराज्य स्थापित करने के लिये एक कानून बनाने जा रहे हैं और उस कानून के जरिये उसका संचालन करने वाले Qualification निश्चित करते हैं जिनके द्वारा इस लोक राज्य का संचालन किया जायगा; जैसा कि इसके क्लॉज नं० १३ में लिखा हुआ है।

> "Every Panchayat shall have a Surpanch who must be a person able to read and write Hindi and shall be elected by the members of the whole Panchayat circle in the prescribed manner."

अध्यक्ष महोदय, कानून के द्वारा जिस पंच को सरपंच बनाया जायगा उसके लिये हिन्दी का ज्ञान आवश्यक है ; वे हिन्दी अच्छी तरह लिख-पढ़ सकें। उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह शख्स कोई अंग्रेजी का भी जानकार हो ; परन्तु जो कानून बन रहा है बिल्कुल ईंगलिश में है। इसके लिये कई साहब कहेंगे कि यह कानून हिन्दी में भी अनुवादित है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि उसका हिन्दी ट्रान्सलेशन हुआ है ; ड्राफ्टिंग नहीं हुआ । इसलिये हिन्दी की पूरी मंशा समझ में नहीं आती। मैं हिन्दी ट्रान्सलेशन का एक उदाहरण भी उपस्थित करूंगा। इस कानून के क्लॉज २८ का जो अनुवाद हुआ है इसका एक उदाहरण यह है--

"दंड प्रक्रिया संहिता, १८६८ ई., में किसी बात के विपरीत होते हुए भी और इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत को, उस पंचायत क्षेत्र के भीतर जिसके लिये वह स्थापित एवं निर्मित की गई है, प्रथम परिशिष्ट में निर्दिष्ट किसी जुर्म की सुनवाई या किसी जुर्म के उकसाने या करने की चेष्टा के लिये फौजदारी न्यायालय के समान विचाराधिकार होगा तथा हस्तक्षेप करेगी"

मैं समझता हूं इस भाषा को बाहर की जनता समझने में बिल्कुल योग्य नहीं। कहीं जनता इस कानून का इन्टरप्रिटेशन गलत न कर ले और कानून का दुरुपयोग न करले। इससे फायदा होने

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

के बजाय ज्यादा नुकसान हो सकता है । अतः माननीय मन्त्री से, जिन्होंने इस बिल को इन्ट्रोडयूस किया है, निवेदन करूंगा कि वे सिलेक्ट कमेटी की मिटिंग बुला कर, चाहे वह रात भर बैठें, इसका हिन्दी में ड्राफ्ट कर, इसको हिन्दी में पास करावें और वह हिन्दी इस प्रकार की हो जिसे जनता आसानी से समझ सकें ; तो बहुत अच्छा होगा । और उन मित्रों के लिये भी जो इंगलिश नहीं जानते हैं, हिन्दी में ज्यादा कारोबार करते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मेरे इस अमेन्डमेन्ट पर विचार करके मेरे वक्तव्य का समर्थन करें और इस अमेन्डमेन्ट को पास करवाने में सहयोग दें ।

दूसरी चीज यह है कि इस बिल पर जो सिलेक्ट कमेटी मुकर्रर हुई थी, उसमें इस पक्ष की तरफ से माननीय दिलीपसिंहजी एक सदस्य थे । मैंने उनके द्वारा अपने संशोधन सिलेक्ट कमेटी के सामने विचारार्थ रखने के लिये उनके पास भेजे थे लेकिन जब उनसे मालूम हुआ कि सिलेक्ट कमेटी में शामिल होने की सूचना उनको सात दिन बाद मिली, तो मुझे बडा दुख हुआ । वास्तव में यह बड़े दुख की बात है । इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए मेरे इस संशोधन पर गंभीरता से विचार करें और यह भी सोचिये कि मेरे पॉइन्ट्स कहां तक ठीक हैं । इन शब्दों के साथ में यह अपना संशोधन कि इस बिल को पुनः उसी सिलेक्ट कमेटी के पास विचारार्थ भेजा जाय, सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत बिल १९५२ पर, जो हाउस के सामने विचारार्थ है, अपने विचार रखना चाहता हूं । एक माननीय मित्र ने इस पंचायत बिल का विरोध करते हुए यह कहा था कि पंचो का चुनाव पार्टी या दल के आधार पर होगा और उनको जुडिशियरी के पॉवर दे दिये गये हैं—

श्री गोपीलाल यादव—On a point of order, Sir, इस वक्त जो चीज विचाराधीन है वह वह नहीं जो पहले प्रस्ताव था । पहला प्रस्ताव खतम होगया । अब वह चीज चली गई । अब नया प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी में भेजने का है । उसमें उन्होंने जो बातें कहीं हैं उनका जवाब देना चाहिये । हम अपनी पोजीशन क्लियर करदें कि हम देरी करने के पक्षपात में नहीं हैं । जो हमको बोलने का अधिकार दिया गया है तो इस प्रस्ताव पर बोलेंगे तो सही ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, सदन के सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल का ताल्लुक राजस्थान की शरीफ जनता से है ; हेबिचुअल ऑफन्डर्स से नहीं है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं । इस पर आपके विचार करने का, भाग लेने का मैं स्वागत करता हूं । इसके द्वारा ऐसी बात होने जा रही है जिससे राजस्थान की जनता का भला होगा और कोई इस तरह की देर करने की बात नहीं है । इस बिल की आवश्यकता है क्योंकि इसके द्वारा जनता को सचमुच में अधिकार मिलने वाले हैं । आपके सजेशन्स का स्वागत करूंगा । बोलने में कोई रुकावट नहीं करना चाहता हूं । आप बोलें और अच्छी तरह से विचार करें ।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी माननीय मन्त्री जी ने जो फरमाया है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे उपयोगी बिल में देर करने की हमारी बिल्कुल मन्शा नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि जितनी हो सके यह पास हो। मगर हम यह कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के उपयोगी बिल में त्रुटियां कोई किसी किस्म की जल्दबाजी में नहीं रहनी चाहिये। हम बोलने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि कुछ हमारे दुर्भाग्य से ऐसा होगया है कि बोलने के लिये हम पर रुकावट डाली जा रही है। जनता के जितने आप प्रतिनिधि हैं उसी के मुताबिक हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि होने की हैसियत से जो अपने विचार हमारी कॉन्स्टीट्युएन्सी की जनता के हैं, हाउस के सामने रखना चाहते हैं। या तो उनका सन्तोषजनक उत्तर मिल जाय या वह बहुमत से पास हो जाय तो हमें कुछ नहीं कहना है। मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बिल में जितना जल्दी कार्य हो सके, हम खुद भी चाहते हैं, वह किया जाय, और संयुक्त दल और विरोधी दल सहयोग देने के लिये हमेशा तैयार रहा है और दिया है। मगर यह बात सही है कि हमारी कॉन्स्टीट्युएन्सी की जो जनता है उसका दृष्टिकरण रखने के लिये हमें मौका जरूर देना चाहिये।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं आपसे सहमत हूं। सदन के सब सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिये, जिससे वे अपने अपने विचार प्रकट करें और प्रस्तुत करें।

माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि इस बिल के विचारार्थ लेने में क्या कोई ऐतराज है?

श्री कानसिंह—माननीय अध्यक्ष, जब कि सिलेक्ट कमेटी का मोशन चल रहा है तो उस बीच में यह बात कैसे पूछी जा रही है?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता जब इस तरह की बात फरमा रहे हैं तो विरोधी दल के कोई भी सदस्य सहमत नहीं होगें; ऐसा मैं मानता हूं।

श्री कानसिंह— जब ....

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, जो आश्वासन मन्त्री महोदय ने दिया है उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक चीज निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि सिलेक्ट कमेटी का वातावरण बड़ा अच्छा होता है। एक कमेटी का मुझे भी अनुभव है; वह थी फोरेस्ट बिल की। मैंने उसमें काम किया। जो चीज हम चाहते थे करीब करीब सब सदस्य मान गये और हाउस में भी पास होगया। इस तरह तो सिलेक्ट कमेटी में पार्टीबन्दी या दलबन्दी नहीं होती है। इसमें बहुत नुक्स और खामियां भी है। अगर यहां पर उस पर विचार होगा तो उसमें वही पार्टीबन्दी और दलबन्दी आयेगी और उस तरह से विचार नहीं हो सकेगा। और चूंकि वाकई इसमें खामियां हैं इसलिये देरी का सवाल नहीं है। इसी सेशन में २–३ दिन का टाइम सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाय जिसमें यह विचार हो जाय।

[श्री गोपीलाल यादव]

इसलिये में यह समझता हूं कि इस वजह से कि इस पर ठीक ढंग से पार्टीबन्दी और दलबन्दी को छोड कर काम हो सके और वास्तव में हमको कितना काम करना है इसको देख कर यह प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया जाय और जल्दी से जल्दी हम लोग एक हो जायँ तो ठीक है।

कर्नल श्री दिलीपसिंह (विरोधी पक्ष)—माननीय अध्यक्ष, में आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के अन्दर में भी एक मेम्बर था और दो बुलावे आये; सिलेक्ट कमेटी के खत्म होने के एक हफ्ता के बाद। इसको लेकर सेक्रेटरी साहब से प्रार्थना की कि इस तरह बुलाने से कोई फायदा नहीं; तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आइन्दा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वह लिफाफा मेरे पास मौजूद है जिसे यहां से तो बराबर रवाना किया; लेकिन यहां से रवाना नहीं हुआ। जयपुर की तारीख १५ दिनके बाद है। इस पर आइन्दा के लिये विचार किया जाय। बहुत सारे अमेन्डमेन्ट्स मेरे पास सिलेक्ट कमेटी के लिए बनाये हुए थे, वह में नहीं पेश कर सका। में श्री भेरूंसिह के प्रस्ताव को सेकन्ड करता हूं कि इस बिल को फिर एक दफा सिलेक्ट कमेटी में रखा जाय। इसमें कोई दो चार महीने नहीं लगेंगे। २, ३ दिन या जैसा मुनासिब समझा जाय, उतना समय रख दिया जाय।

श्री विश्वम्भरनाथ—माननीय अध्यक्ष, मेरे भाषण के प्रारम्भ से ही बराबर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए जो मांग हो रही है वह मेरी समझ में बड़ी मुश्किल है। यह सब-की जानकारी में है कि यह बिल इस हाउस में एक दफा सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जा चुका है। उस सिलेक्ट कमेटी में विरोधी दल के काफी सदस्य थे। जैसा कि और सिलेक्ट कमेटियों में होता आया है में समझता हूं काफी डिस्कशन होने के बाद, काफी धाराओं, उप-धाराओं की तफसील में जाने के बाद सिलेक्ट कमेटी ने, जैसा कि मेम्बर इंचार्ज बिल ने बताया, ४० घन्टे की मुतवातिर बहस के बाद पास किया। जहां तक मुझे मालुम है वह करीब करीब सर्वसम्मति से उस सिलेक्ट कमेटी में, जिसमें कि विरोधी दल के काफी सदस्य थे, पास किया गया। में नहीं समझ सका कि क्या जस्टिफिकेशन रहता है विरोधी दल के पास उस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को चैलेन्ज करने के लिए जिसमें उनका अच्छा रिप्रे-जेन्टेशन था और जिसमें वह यूनेनिमसली (सर्वसम्मति) से पास हुआ। खैर।

इसके बाद भी जनरल बहस हुई। उसका जबाब देते हुए यह अर्ज करना जरूरी है कि यह बिल एक निहायत महत्वपूर्ण बिल है। विरोधी दल के मेम्बरों और इस प्रस्ताव के पेश करने वाले माननीय सदस्य की यह मन्शा है कि उनका इस बिल के सिद्धान्त पर इतना मतभेद नहीं है। वे महसूस करते हैं कि पहले ही देर हो गई, इसको पास करने में। इस देर से राजस्थान की जनता का बडा भारी नुकसान हो गया और फिर इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहते हैं और कहते हैं कि कम से कम पब्लिक ओपीनियन को रेफर कर दिया जाय, दूबारा सिलेक्ट कमेटीको भेज दिया जाय। इससे यह मन्शा उनकी है कि वे इसको टालना चाहते हैं; डिलेइंग टेक्टिक्स प्ले करना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई कयास निकाला नहीं जा सकता है। वे इसके प्रिंसिपल्स को मानते हैं, इसकी अर्जेन्सी को, इम्पो-र्टेन्स को मानते हैं, और पहले ही देर हो गई इसको भी मानते हैं; फिर कहां तक यह बात ठीक है और में तो यह कहूंगा कि यह तो निहायत एब्नॉरमल है कि दुबारा सिलेक्ट् कमेटी को रेफर कर दिया जाय।

[श्री विश्वम्भरनाथ]

अतः मैं तो कहूंगा कि राजस्थान की जनता की भलाई के लिए इस बिल का शीघ्रातिशीघ्र पास हो जाना और क्रियान्वित हो जाना बहुत जरूरी है । आज हिन्दुस्तान में, राजस्थान में, गांवों की जनता लोकराज्य का स्थापित होना नहीं मानती है । लोक-राज्य तो उस दिन स्थापित होगा जिस दिन राजस्थान प्रदेश के १,२६,००,००० लोगों के, जो कि गांवों में रहते हैं, एरिया में करीब ४००० पंचायतें बनाने वाला यह कानून पास हो जायगा और उनको वहां अपनी स्थानीय दिक्कतों को, अपने छोटे छोटे मामलों को तय करने का अधिकार मिल जायगा । उस रोज सच मायने में राजस्थान में लोकराज्य की स्थापना होगी । मैं बतलाता हूं कि हर ग्राम में, छोटे से छोटे मामले, सफाई वगैरह करने या रोशनी आदि के मामले को लेकर बडा भारी असन्तोष है । एक एक मामले के लिए दरख्वास्त देनी पडती है, राजधानी तक में आना पडता है । छोटे अफसरों से लेकर बड़े बड़े अफसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं । आप देखेंगे कि छोटे मोटे मामलों को तय करने के उनको अधिकार मिलने से बड़ी भारी राहत उनको पहुंचेगी; उनका समय बरबाद नहीं होगा ।

मैं समझता हूं कि हम सब ने इस तरह के वायदे किये हैं, हमारे प्लेजेज हैं, जो हमें नहीं भूल जाना चाहिये और उसकी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए । अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश में, जो कि सबसे ज्यादा प्रजातान्त्रिक देश (डेमोक्रेटिक कन्ट्री) है, वहां जजेज को भी इलेक्ट किया जाता है । जो यह जानते हैं, जो यह बात भूल जाते हैं और कहते हैं कि उनको ज्यादा अधिकार दे दिये गये हैं, तो मैं समझता हूं कि इस दलील से कतई ताल्लुक नहीं है, यह कोई वजनदार बात नहीं है । साथ ही,हमें यह नहीं भूलना चाहिये……

श्री कानसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे सदन के सामने जो प्रश्न है उसी पर बोलें। सदन के सामने सवाल है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने फिर से पेश किया जावे। आप २६ लाख की व दूसरी बातें करते हैं इससे हाउस का समय यों ही बरबाद होता है ।

श्री बी. एन. जोशी—मैं तो रिलेवेन्ट बात ही कह रहा हूं ।

श्री कानसिंह—जो विषय सदन के सामने है उस पर ही विचार करना चाहिए और बोलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—आप रिलेवेन्ट बात ही कहिये ।

श्री बी. एन. जोशी—मैं यह बात कह रहा था कि इस बिल को पास करने में देरी करना ठीक नहीं है और मैं समझता हूं कि यह मेरी बात पूरी तरह से रिलेवेन्ट थी । पंचायतें स्वायत्त शासन की बुनियाद है। यह एक ग्रामीण जनता के लिये अपने अधिकारी को समझने में स्कूल का काम करती है।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री कानसिंह—ऑन ए पोइन्ट ओफ और्डर, सर······

श्री हरिदत्त—कहा तो हमें जाता है कि सदन का समय बरबाद करते हैं मगर दरअसल कौन समय बरबाद करता है

श्री गोपीलाल यादव—We all agree......

श्री बी. एन. जोशी—इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी पास किया जावे।

श्री कंवरलाल—(बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष—श्री बेलजी

श्री बेलजी—श्री उपाध्यक्ष, यह बिल अंग्रेजी में आया है और गांव वाले अंग्रेजी क्या समझ सकते हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि इस बिल को ऐसी भाषा में रखा जाय जिससे गांवों के लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकें क्योंकि वे अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। यह बिल तो हिन्दी में ही होना चाहिए था और वह भी सरल हिन्दी हो। अंग्रेजी पढे हुए लोग भी अच्छी तरह से कानून कायदों को नहीं समझ सकते; तो जो हिन्दी भी पूरी नहीं जानते हैं वे लोग इसको कैसे समझ सकेंगे।

एक सदस्य (राजपत्र)—I move the closure, Sir.......

श्री बी. एन. जोशी—Mr. Deputy speaker, Sir, I move that the Question be now put.

श्री जसवन्त सिंह—Sir, we agree to the closure.

श्री उपाध्यक्ष—I allow the closure.

श्री जसवन्तसिंह—So far as this side is concerned we all agree to the closure.

श्री कंवरलाल बेलिया—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्लोजर की आज्ञा दी जा चुकी है, फिर भी आप माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री कवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्ष, अभी माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई थी कि इस पंचायत बिल की भाषा ऐसी हिन्दी में है कि समझ में नहीं आती और वह अंग्रेजी में पेश हुआ है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि राजस्थान विधान सभा में आजतक जितने भी बिल पेश हुए हैं वे अंग्रेजी में हुए हैं तो भी माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने इसलिए इसका अनवाद कराया कि इस बिल का

[श्री कंवरलाल जेलिया]

ग्रामीण जनता से सम्बन्ध है । मैं भी एक हिन्दी का जानकार हूं और जहां तक इसकी भाषा का संबंध है मैं इसे अच्छी तरह समझ सकता हूं ; फिर मेरी समझ में नहीं आता कि ग्रामीण जनता को इसके समझने में क्या आपत्ति होगी ?

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि भारतीय विधान की भाषा संस्कृतनुमा हिन्दी है । जहां तक कानूनी शब्दों और वैधानिक शब्दों का प्रश्न है, यह मानना होगा कि आज हिन्दी में इतने आसान शब्द नहीं हैं । मेरे मित्र ने फौजदारी कानून के संबन्ध में बताते हुए "प्रक्रिया" शब्द का उदाहरण बताया है । मैं उन्हीं माननीय सदस्य से पूछता हूं कि वही बतावें कि वे इसकी बजाय और क्या शब्द रखेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान विधान सभा की शब्दावली अभी हिन्दी में तैयार हो गई है ? पिछली बार हम हिन्दी को राजभाषा घोषित कर चुके हैं और वह राजभाषा जल्दी ही होने वाली है ।

सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के सामने जब यह बिल पेश हुआ तो वहां दोनों तरफ के व्यक्ति मौजूद थे ; वामपक्ष के सदस्य भी मौजूद थे ।, उनमें एक भी ऐसा नहीं था जो हिन्दी नहीं जानता था । सिर्फ एक श्री तेजपाल ऐसे थे जो अंग्रेजी नहीं जानते ; हिन्दी जानते हैं, बाकी सब अंग्रेजी जानते हैं । ग्रामीण जनता के लिए कहा जाता है कि अशिक्षित है, वह अशिक्षित नहीं । मूल चीज समझने की है कि जो उनके झगड़ों को निबटाने का फैसला करने वाले हैं वे कितने योग्य हैं, शिक्षित हैं । आप जनता के प्रतिनिधि बन कर आये हैं, अतः आपका कर्तव्य है कि अगर इसमें कोई ऐसी त्रुटि रह गई हो जिससे जनता के हितों पर कुठाराघात होता हो तो आप संशोधन पेश करें, सुझाव रखें । स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने मंजूर किया है कि वे इस तरह के सुझावों को स्वीकार करेंगे । तो फिर यह हिन्दी की दलील क्यों दी जा रही है ? इस तरह की दलील देना हमारे सदन का समय खराब करना है । (ट्रेजरी बेंचेज "हीयर-हीयर")।

अतः मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय । जो मेरे माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इस तरह की भाषा समझ में नहीं आ सकती । मेरी यह अर्ज है कि एक दो सदस्य ऐसे होंगे जो कि ज्यादा हिन्दी के जानकार नहीं हो सकते ; पर उनके लिए एक दम सरल भाषा तो नहीं लाई जा सकती, जो सब समझ में आ जाय । ऐसा कहा गया है कि ग्रामीण तो समझते नहीं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा के ऐसे भी सदस्य हैं कि जो पूरी तरह अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते तो फिर इस तरह की दलील देना कि ग्रामीण अशिक्षित हैं, यह नागरिक अधिकारों के ऊपर एक हमला करना है ।

एक सदस्य ने यह अमेंडमेंट पेश किया है कि इसे वापिस सिलेक्ट कमेटी में लौटाया जाय । उस अमेंडमेंट को रद्द किया जाय और मूल प्रस्ताव पर बहस करके इसे स्वीकार किया जाय ।

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस बिल के बारे में विचार जाहिर करने का........

श्री कानसिंह—ओन ए पाइन्ट ओफ ओर्डर, सर । आपने जब क्लोजर ....

श्री उपाध्यक्ष—Order, Order ! It can again be put. I had allowed the present speaker to speak. After his speech, the Hon'ble Member should move the closure.

श्री मानसिंह मल्हार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस बिल पर बोलने का इरादा नहीं था; लेकिन जिस चीज को लेकर और जिन खास खास बातों को लेकर मेरे मित्र को यह रखना पड़ा कि "This Bill may be recommitted to the same select committee" तो इससे मेरे दोस्तों ने इसे मिसइन्टरप्रेट किया और मिसरिप्रेजेन्ट किया । अतः मुझे मजबूरन कुछ कहना पड़ रहा है । मेरे दोस्त का कहने का मतलब यह था कि इसका अनुवाद सरल हिन्दी में होना चाहिए । वह ऐसी हिन्दी हो कि ग्रामीण जनता भी उसे पढ कर समझ सके । मैं दावे के साथ कहूंगा कि जिन्होंने उछल-उछल कर कहा है कि यह अनुवाद सरल हिन्दी में है तो मैं उन्हें चैलेन्ज देता हूं कि जो शब्द हैं उनको सही तरह से इन्टरप्रेट करें ।

श्री रामकरण जोशी—चैलेन्ज की क्या सरल हिन्दी है ?

श्री मानसिंह—जो चौथा अध्याय है, जिसमें लिखा है कि पंचायत न्याय संबंधी······

श्री बी. एन. जोशी—On a point of order, Sir, section cannot be read.

श्री मानसिंह—"फौजदारी अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता" इसकी हिन्दी करिये ।

श्री कपिलदेव—जब मेरे माननीय मित्र इसको पढ सकते हैं तो मैं समझता हूं प्रत्येक सदस्य इसको जानते होंगे

श्री मानसिंह—तो मैं मान लूंगा कि वाकई यह सरल हिन्दी है और इसको सिलेक्ट कमेटी के पास वापिस नहीं भेजा जाय । क्योंकि अभी तक जवाब नहीं आया है ; इसलिये मैं समझता हूं यह सरल हिन्दी में नहीं है । माननीय उपाध्यक्षजी इस बारे में हमको बार बार यह कहना है कि इस सदन के इस ओर जो हम लोग बैठे हैं वे उस पक्ष से ज्यादा यह चाहते हैं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो और अच्छी तरह से पास हो और इस बिल को ग्रामीण भाइयों के सामने ऐसी सरल हिन्दी में रखा जाय कि वे इसे आसानी से समझ जायें और इस बिल की धाराओं का इन्टरप्रिटेशन कराने के लिये उन्हें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या कोटा के शहरों में नहीं जाना पड़े । आपके जरिये मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि हम हर प्रकार से चाहते हैं कि हम इसमें कोओपरेट करें जैसा कि हम हमेशा करते आये हैं लोगों की कोओपरेशन के लिये आवाज आती है, लेकिन कोओपरेशन का मौका नहीं दिया जाता । एक मित्र जब पहले बोलने के लिए खड़े हुए तो उनको कहा जाता है, "आर्डर-आर्डर" ।

(बैठ जाइये की आवाज)

श्री मानसिंह—उपाध्यक्ष महोदय कहेंगे तब बैठूंगा ।

[श्री मानसिंह ज० रा०]

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके बारे में व्याख्या करते हुए मैं यह कहूंगा कि हम यह हरगिज नहीं चाहते कि इस बिल को सर्क्युलेट कराकर या इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इसे खत्ते डाल दें; फिर भी हम यह जरूर चाहते हैं कि यह बिल ऐसा न हो कि दुनियां में कोई कहे कि राजस्थान में ऐसे लेजिस्लेटर्स थे जिन्होंने बड़ी बुरी बात की; जिससे राजस्थान की जनता को खमियाजा उठाना पडा। (हंसी) यह हंसने की बात नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि बड़े दुख की बात है। आप अगर कानूनों को दौड़-दौड़ कर पास करेंगे तो इस वक्त तो कुछ नहीं होगा; किन्तु गरीब जनता ऐसे काले कानून को लेकर रोएगी। मैं कह देना चाहता हूं कि यदि आप शुभचिन्तक बनते हैं.........

श्री कंवरलाल जेलिया—ओन ए पोइन्ट आफ ओर्डर सर............मुझे, काले कानून कहने की बात पर ऐतराज है।

श्री गोपीलाल यादव—"काले कानून" जो कहा गया है वह इस बिल के लिए नहीं कहा गया है। यह तो इससे पहले जो बिल पास हुआ है उसके बारे में कहा गया है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्तशासन मंत्री)—मैं नहीं समझ सकता कि वह बिल इसमें कहां से घुस गया?

श्री मानसिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस बिल को पास करने को ज्यादा महसूस करते हैं। इसके अलावा भी यह कहूंगा, जो मैं विरोधी पक्ष की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कानून बनने से पहले हम किसी भी बिल को ठोक बजा कर देखेंगे और फिर उसे उस स्थिति में पास करेंगे ताकि दूसरे देशों वाले और आने वाली संतान यह न कहे कि जिन्होंने ये कानून बनाये थे वे बुद्दू थे। (हंसी) उपाध्यक्षजी, मैं यह कहूंगा कि आप सदन से अपील करें कि अगर हम यह संशोधन वापिस ले लें तो कम से कम हमारे मंत्री महोदय सिफारिश करें कि जो भी संशोधन लाए जावें उन पर हमारी राय जरूर जाहिर करने दी जाय। अगर राय नहीं जाहिर करने दी जायगी तो हमारा यहां सदन में आना और बैठना बेकार है। मैं महसूस करता हूं कि जो एलाउन्स तथा पे के रूप में सदस्य लेते हैं वह खैरात के रूप में ले रहे हैं और सही माने में जनता की सेवा नहीं करते हैं। हमारे दोस्त समय के नाम पर हमारा गला घोटते हैं और हमारे दोस्त हमें कहते हैं कि समय नहीं है और कानून को जल्दबाजी से पास करें। मैं उनसे अपील करूंगा, उपाध्यक्षजी, आपके जरिये से, कि कानून बनाते वक्त संतोष से काम लेना चाहिए। अगर वे किसी कानून में तीन दिन लगाना चाहते हैं और हमारी बहस से उसमें यदि पांच दिन लगते हैं तो उन्हें अपनी गलती महसूस करनी चाहिये और हमारी राय को जरूर मंजूर करना चाहिए। मैं मेरे दोस्त के अमेन्डमेन्ट को सपोर्ट करता हूं।

श्री बी. एन. जोशी—Mr. Deputy speaker, Sir, I move that the question be now put.

श्री कानसिंह--प्रश्न रखे जाने से पूर्व मैं एक बात का क्लेरीफिकेशन और चाहता हूं। इस सदन के सामने राव साहब दिलीपसिंहजी ने एक बात रखी थी.........

श्री बी. एन. जोशी--On a point of order, Sir. I desire that the ruling of the Chair on my motion to allow closure be given.

श्री उपाध्यक्ष--I allow the closure motion. प्रश्न यह है कि क्लोजर स्वीकृत किया जावे।

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष--क्लोजर मोशन स्वीकार किया गया।

(विराम)

इस बिल के मूवर मिनिस्टर इस पर बोल सकते हैं जवाब में।

श्री कानसिंह--मिस्टर स्पीकर, सर, मैं अपनी तरफ से एक बात पहले कहने वाला था। क्लोजर मूव...........

श्री उपाध्यक्ष--आपकी यह बात है कि नोटिस देर से मिला; इसके लिए सेक्रेटेरियट की तवज्जह दिलाई जा रही है।

श्री कानसिंह--मैं इस पोइन्ट पर बोल रहा हूं साहब..........

(श्री उपाध्यक्ष ने घंटी बजाई)

श्री रामकरण जोशी--मैं इस अमेन्डमेन्ट के जवाब में इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे यह अमेन्डमेन्ट अस्वीकार है। मैं चाहता हूं कि बिल विचारार्थ ले लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंह का जो अमेन्डमेन्ट है कि इसे पुनः उसी प्रवर समिति में भेजा जावे; क्या यह सदन को स्वीकार है।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--श्री भोलानाथ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--श्री भैरोंसिंहजी का और संशोधन है?

एक सदस्य--नहीं है।

राजस्थान कृषि आय-कर विधेयक

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--I move that the time appointed for the presentation of the report of the Select Committee on the Bill to provide for the levy of a tax on agricultural income derived from Land situated in the State of Rajasthan, be extended upto 24th March, 1953.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि एग्रीकल्चर इनकम टेक्स के लिए जो सिलेक्ट कमेटी मुकर्रर की गई थी उसकी अवधि २४ मार्च, १६५३ बढ़ाई जावे ।

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार । (हंसी)

(विराम)

राजस्थान पंचायत विधेयक, १६५२

अब प्रश्न यह है कि पंचायत बिल विचारार्थ लिया जावे ।

(विराम)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

अब क्लाज नम्बर २ पहिले लिया जावेगा और इसके सम्बन्ध में संशोधन लिये जावेंगे ।

(विराम)

क्लाज नम्बर २ पर श्री जवानसिंह का यह संशोधन है :

"In sub-clause (4), the words 'Panchayat established, be substituted by the words' body of persons constituted."

He will move his amendment.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान पंचायत बिल जो सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया गया उसके क्लॉज वन के सब क्लाज (२) में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है••

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is clause one or two under consideration, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष—क्लाज वन और शार्ट टाईटल और प्रीएम्बल बाद में लिये जाते हैं ।

श्री जवानसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मेरा अमेन्डमेन्ट क्लाज दो में इस प्रकार है—

"In sub-clause (4), the words "Panchayat established" be substituted by the words "body of persons constituted".

यह जोडने से इसका मतलब इस प्रकार का होजायगा—"Panchayat" means a body of "persons constituted under this Act" मेरी, इस बिल में संशोधन पेश करने की शुरू से यह धारणा रही है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से और अपने साथियों की तरफ से हम लोग मिल जुलकर यह कानून ऐसा पास करें जिससे जो कुछ भी मामूली त्रुटियां इसमें रह गई हैं, वे हर तरह से रफू हो जायें और जनता के सामने यह बिल बहुत अच्छी तरह से ठोस रूप में, कानून के रूप में पेश हो । इसलिये पहले ही मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करूं गा कि मेरे अमेन्डमेन्ट को पेश करने में किसी प्रकार के विरोध की धारणा नहीं रही; बल्कि एक सहयोग की भावना से मैंने यह संशोधन पेश किया है । पंचायत की नोटिफिकेशन इस बिल में इस क्लाज के जरिये यह रहती है कि पंचायत का मतलब अगर पंचायत ही रखते हैं तो यह कोई तारीफ नहीं कही जायगी अगर हम "आदमी" की परिभाषा "आदमी" ही करें तो यह कोई तारीफ की बात नहीं । मेरे इस संशोधन से, हरेक आदमी को, पंचायत का मतलब बहुत अच्छी

[श्री जवानसिंह]

तरह से समझ में आजायगा । चाहें कोई विदेशी भी हमारे इस कानून को पढ़ेगा तो वह भी समझ सकेगा कि पंचायत क्या चीज होती है ? इसलिये मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे संशोधन को अस्वीकार नहीं करेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर--इस तरमीम में बतलाया गया है कि "पंचायत" की जगह "बोडी ऑफ परसन्स" किया जावे । वैसे तो कोई इसमें बोडी ऑफ परसन्स रख दिया जाय तो कोरपोरेशन नहीं होगा और न इसमें कोई मत भेद की गुंजायश है; मगर मैं यह कहूंगा कि यदि ये शब्द और परिभाषा जोड़ दी गई तो इसमें आपको और तरमीम करनी पड़ेगी । क्योंकि यदि आप लिखते हैं कि "बोडी ओफ परसन्स" तो फिर आपको परसन की डेफिनेशन और करनी पड़ेगी । क्योंकि वे वकील हैं और जानते हैं डेफिनेशन ओफ परसन्स की डेफिकल्टि समझानी पड़ेगी । यदि, आपने जो तरमीम रखी है,उसको मंजूर किया गया तो दूसरी और तरमीम आपको करनी पड़ेगी । गांव में हर आदमी पंचायत का मतलब समझ सकता है । "पंचायत" के माने "बोडी ओफ परसन्स" ही लिये जावेंगे । इसलिये मेरी समझ में तरमीम की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती । इस अगर आपको खुश करने के लिये इसे मंजूर करना लिया जावे तो इसमें एक और एमेन्डमेन्ट लाना पड़ेगा । इसलिये उम्मीद करता हूं कि वे अपने इस एमेन्डमेन्ट को वापिस ले लें तो अच्छा होगा ।

श्री एच. के. व्यास– On a point of information, Sir, can I know whether a new Minister is being added to the Rajasthan Government ?

श्री जयनारायण व्यास–These are Treasury Benches, not Ministers Benches.

श्री हरिदत्त-अभी श्री माथुर साहब ने कहा है उस पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि "बोडी ओफ परसन्स" यदि रख दिया जावेगा तो कोरपोरेशन हो जावेगा । "Body which is constituted under this Act" clearly means the villagers who constitute a Panchayat. The word Panchayat should be defined. Body is a body of persons.

श्री रामकिशोर व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस एक्ट के पढ़ने से साफ मालूम होगा कि इसमें पंचायत की डेफिनेशन आगई है । इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि लेजिस्लेशन में कोई नई डेफिनेशन नहीं बननी चाहिये । जो डेफिनेशन दूसरी जगह पर इस सम्बन्ध में हो वैसी ही यहां रहनी चाहिये । जहां तक हो सके लॉ में यूनीफोर्मिटी होनी चाहिये । अलग अलग डेफिनेशन होने में दिक्कतें रहती हैं । यह जो डेफिनेशन रखी गई है उसी आधार पर रखी गई है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह ठीक है और यही रखी रहनी चाहिये ।

श्री जवानसिंह—मैं सदन को निवेदन करता हूं कि मुझे अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की मन्जूरी दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंह अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेना चाहते हैं ।

Page No.79

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष--सदन के सामने प्रश्न यह है कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

यह क्लाज सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, अतः यह विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

चूंकि समय हो चुका है इसलिये सदन की कार्यवाही कल दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की कार्यवाही आज ६.२० सायं को, कल दिनांक २० फरवरी, १९५३ के २ बजे मध्याह्न तक के लिये स्थगित हुई ।)

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

सभा भवन,
जयपुर, दिनांक १९ फरवरी, १९५३

परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्नोत्तर जोकि सदन की मेज पर रखा गया

५. (२५/एल. एम.) श्रीराम दयाल उपाध्याय, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १२३—क्या उद्योग मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(क) उदयपुर डिविजन में अभ्रक के जो १७ क्षेत्र ब्लॉक किये गये और उनको ठेके पर दिये गये उनसे सरकार को कितनी आय हुई ?

(ख) इन १७ ठेकेदारों में से कितनों ने कितनी कितनी रकम सरकार में जमा कराई और कितनी बाकी है ?

(ग) इन १७ हिस्सों में प्रत्येक को कितना कितना चौरस माइल का क्षेत्र कितने समय के लिये प्रोस्पेक्टिग के लिये दिया गया, और क्या अब तक प्रोस्पेक्टिंग का समय समाप्त नहीं हुआ ?

(घ) यदि इन १७ ठेकेदारों में से सरकार को प्रोस्पेक्टिंग का समय गुजर जाने के बाद भी अधिकतर ठेकेदारों द्वारा रकम जमा नहीं कराते हुए भी बराबर अभ्रक का निर्यात किया जा रहा है तो उन पर खनिज विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई और नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई ?

(ङ) इन १७ ब्लॉकों के पास जो क्षेत्र इनके अलावा अन्य लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के दिये गये, वे किस आधार पर दिये गये ?

(च) इन १७ हिस्सों में अखिल भारतीय खनिज एक्ट के अनुसार अब तक क्यों नहीं विभक्त किया गया ?

(छ) उदयपुर डिविजन में, अब तक कितने सी. ए. और कितने पी. एल. दिये गये ?

(ज) उपरोक्त सी. ए. तथा पी. एल. के प्रार्थना-पत्र कब आये तथा कब उन्हें दिये गये ?

(झ) कितने ऐसे सी. ए. हैं जो अब तक पी. एल. नहीं ले पाये हैं ?

(ट) राजस्थान में कितने ऐसे खनिज हैं जिन पर इस समय एकाधिकार माना जाता है ?

(ठ) जब अखिल भारतीय खनिज एक्ट के अनुसार प्रत्येक को १० चौरस मील से अधिक क्षेत्र नहीं दिया जाता तो फिर इन १७ ठेकेदारों के अधिकार में सरकार का नामजद पूरा पैसा दिये बिना ही यह लोग भारी भारी क्षेत्रों पर अधिकार किये हुये हैं और विभिन्न नामों से सी. ए. लेकर वापस खुद ही सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेंगे तो अन्य लोगों को अवसर मिलेगा या नहीं ?

उत्तर

(क) उदयपुर डिविजन में १७ ब्लॉकों से सरकार को पिछले दो सालों में करीब १० लाख की आमदनी हुई ।

(ख) १७ ठेकेदारों पर रुपया १६०३४२) बाकी है व रु० ५२११५८-२-० जमा करा दिये हैं, ब्लॉक ८ की कीमत सरकार तय कर रही है ।

(ग) कुम्भलगढ़ व जहाजपुर के क्षेत्रों से करीब ३ वर्ग मील क्षेत्र व भीलवाड़ा में २० से ४० वर्ग मील क्षेत्र ६ महीने के लिये प्रोस्पेक्टिग पर दिया था जो समाप्त हो गया है।

(घ) सरकार इसके लिये उचित कदम उठा रही है।

(ङ) ये क्षेत्र सी. ए. वालों को प्रोस्पेक्टिंग के लिये दिये गये।

(च) ये क्षेत्र अखिल भारतीय खनिज एक्ट के अनुसार विभक्त किये जा रहे हैं।

(छ) कुल राजस्थान में १३७ सी. ए. दिये जा चुके हैं व करीब १२६ इतनी ही पार्टीयों को प्रोस्पेक्टिग लाईसेन्स उदयपुर डिविजन में दिये गये हैं।

(ज) माननीय सदस्य सी. ए. व पी. एल. रजिस्टर देख सकते हैं।

(झ) करीब हर सी. ए. होल्डर के पास पी. एल. है व पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि वह पी. एल. लेवे।

(ट) कोई भी नहीं।

(ठ) पी. एल. का क्षेत्र सीमित नहीं है माईनिग लीज १० वर्ग मील तक दिया जा सकता है। इन १७ ठेकेदारों ने १० वर्ग मील से कम एम. एल. क्षेत्र की मांग की है जो कि सरकार के विचाराधीन है। ये लोग एम. एल. क्षेत्र के अन्दर काम कर रहे हैं। ज्वॉइन्ट इन्टरेस्ट होने से पी. एल. नहीं मिल सकता इसलिये इस प्रश्न का मतलब नहीं होगा।